मैसर्स दलीप लाईम उद्योग, प्लॉट नं. 04 की प्रस्तावित रिवर सेंड (बजरी) खनन परियोजना निकट ग्राम–सतवाड़ा, तहसील–देवली, जिला–टोंक का जन–सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स दलीप लाईम उद्योग **द्वारा प्रस्तावित रिवर सेंड (बजरी) खनन परियोजना प्लॉट** नं. 04, निकट ग्राम–सतवाड़ा, तहसील–देवली, जिला–टोंक **बजरी खनन क्षेत्रफल** 73.61 **हेक्टेयर तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता** 24,49,960 TPA (ROM) मय कुल क्लस्टर खनन क्षेत्रफल **3553.8267** हेक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय–समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों की अनुपालना मे तथा कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र/आदेश क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/27402 दिनांक 04.09.2025, क्रमांक 32776 दिनांक 10.10.2025 तथा क्रमांक 32822 दिनांक 16.10.2025 (संलग्नक–अ) के अनुक्रम मे दिनांक 08.11.2025 (शनिवार) को समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पंचायत समिति देवली, तहसील–देवली, जिला–टोंक मे अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक, जिला–टोंक (राज॰) की अध्यक्षता मे आयोजित की गयी।

उक्त जनसुनवाई निम्न अधिकारियों की उपस्थिति मे आयोजित की गईः–

1. श्री राम रतन सौंकरिया, अति॰ जिला कलेक्टर एवं अति॰ ज़िला मजिस्ट्रेट, टोंक।
2. श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल, बून्दी।

जनसुनवाई मे उपस्थित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र के ग्रामवासी व अन्य का उपस्थिति–पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है (संलग्नक–ब)। उक्त जन सुनवाई के लिए नियमानुसार राष्ट्रीय समाचार पत्र "द इण्डियन एक्सप्रेस" मे दिनांक 07.09.2025, 12.10.2025 तथा 18.10.2025 और स्थानीय समाचार पत्र ""खबरों की दुनिया" मे दिनांक 07.09.2025, 12.10.2025 तथा 18.10.2025 को आम सूचना निर्धारित जन सुनवाई से नियमानुसार निर्धारित दिवसों पूर्व प्रकाशित की गई थी, समाचार पत्रों की फोटो प्रतियाँ संलग्न है (संलग्नक–स)। जनसुनवाई की विडियो रिकोर्डिंग डी.वी.डी./पेन ड्राईव एवं फोटो ग्राफ संलग्न है (संलग्नक–द)।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner

श्री राम रतन सौंकरिया, अति॰ जिला कलेक्टर एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट, टोंक की अनुमति से जनसुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी ने उपस्थित जन–समूह को जनसुनवाई के प्रावधानों, उद्देश्यों तथा महत्व के बारे मे बताते हुए उपस्थित जनसमूह से यह अपील की, कि वे परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन परियोजना के बारे मे जो जानकारी दी जायेगी, उसे सुने, तत्पश्चात् यदि परियोजना के सम्बन्ध मे कोई सुझाव या शिकायत हो तो कृपया सब से पहले अपना परिचय दे जिसमें आपका नाम तथा गाँव बतावें साथ ही सुझाव/शिकायत/आक्षेप/आपत्ति जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझे हमें दे सकते है।

उन्होने यह भी अवगत कराया कि इस जनसुनवाई के दौरान आप लोगों द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत/आक्षेप/आपत्ति दी जायेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई मे होने वाली कार्यवाही की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी की जा रही है। हम आपके लिखित/मौखिक रूप मे प्राप्त सभी सुझाव/शिकायत/आक्षेप/आपत्ति कलमबद्ध करके वीडियो रिकोर्डिंग मय फोटोग्राफ्स के साथ कार्यवाही विवरण (Minutes of Meeting) बनाकर नोटिफिकेशन के अनुपालना स्वरुप राज्य स्तर पर्यावरण समाद्यात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA), राजस्थान को प्रेषित करेंगे।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड्ल, बून्दी ने परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित रिवर सेंड (बजरी) खनन परियोजना के बारे मे उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को अवगत कराने हेतु आमंत्रित किया।

इसके पश्चात परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के विषय से संक्षिप्त जानकारी दी तथा विस्तृत जानकारी देने के लिए पर्यावरण सलाहकार मैसर्स वाईब्रेंट टैक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर के प्रतिनिधि श्री उमेश शर्मा को आमंत्रित किया। श्री उमेश शर्मा द्वारा प्रस्तावित रिवर सेंड (बजरी) खनन परियोजना के बारे मे उपस्थित जनसमुदाय को विस्तृत जानकारी पॉवर पॉइन्ट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से प्रदान की गई जिसमे खनन पटटे के स्थान, खनन पट्टा क्षेत्रफल, उत्पादन क्षमता, मंशा पत्र की जानकारी, अनुमोदित माईनिंग प्लान की जानकारी, अरावली प्रमाण पत्र की जानकारी, संदर्भ की शर्तों, (TOR) की

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner

जानकारी, समाचार पत्रों मे छपवाई गई आम सूचना की जानकारी, क्लस्टर मे आने वाले खनन पट्टों का विवरण, परियोजना का विवरण, क्षेत्रफल, टोपोशीट, भूमि के प्रकार, परियोजना की लागत, निकटतम राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग, निकटतम रेल्वे स्टेशन, निकटतम हवाई अड्डा, निकटतम शहर/गांव, भू-जल तालिका, खदान स्थल की ऊंचाई सीमा की जानकारी, खनन की अंतिम सीमा की जानकारी, निकटतम आरक्षित एवं संरक्षित वन, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जल की आवश्यकता, श्रमिको की आवश्यकता, खनन क्षेत्र मे नदी/नालों, खनिज की भूमिका और आवश्यकता, स्थिति मानचित्र, 15 कि.मी. परिधि का मानचित्र, पर्यावरण प्रभाव हेतु किये गये अध्ययन के स्थानों की स्थिति के मानचित्र, खनन की विधि, प्रस्तावित यंत्रीकरण की जानकारी, भू-आकृति एवं जल निकासी व्यवस्था, पर्यावरणीय आधारभूत अध्ययन, खनन अध्ययन क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति एवं अनुमानित संचयी जमीनी स्तर की एकाग्रता की जानकारी, वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रबन्धन की जानकारी, जल गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रबन्धन, जल गुणवत्ता प्रबन्धन, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रबन्धन के उपाय, प्रस्तावित वृक्षारोपण की जानकारी, पर्यावरण संरक्षण के उपायों की लागत की जानकारी, श्रम कल्याण के लिये प्रस्तावित बजट की जानकारी, व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सामाजिक दायित्व के तहत किये जाने वाले कार्यों की जानकारी, आदि से सम्बधित जानकारी प्रदान की गई।

तत्पश्चात् श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, बून्दी ने उपस्थित जनसमुदाय को अपने सुझाव/विचार/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमन्त्रित किया। उपस्थित जन-समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझाव/विचार/आपत्ति/आक्षेप का विवरण निम्नानुसार है:-

1. **श्री रामराज जाट पुत्र श्री श्योकरण जाट, निवासी ग्राम-सतवाडा, तहसील-देवली, जिला-**टोंक द्वारा अवगत कराया गया कि :
   i) यह बजरी लीज जो कि सरकार द्वारा आंवटित की जा रही हैं, वह लीज आस-पास के गाँवों के लिए अच्छी नही हैं। इससे हमारा नुकसान होगा। वर्तमान मे पानी मे फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

ii) बजरी के खनन से पानी मे फ्लोराइड की मात्रा मे वृद्धि होगी। आस–पास के लोगों मे अधिक फ्लोराइड की मात्रा से बिमारी उत्पन्न होगी।

iii) कुओं का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा हैं। बजरी के खनन से कुओं का जल स्तर और अधिक गिरेगा जिससे जो कि खेती के लिए नुकसानदायक हैं।

iv) बजरी खनन से पर्यावरण प्रदूषण होता हैं।

v) नदी के किनारों पर जो जलीय जीव हैं; जैसे घोंघे, कछुए आदि को खनन करने के दौरान ये लोग मार देते हैं, जिससे पारिस्थितिक तन्त्र पर विपरित प्रभाव पड़ता हैं।

vi) पेटा कास्त करने वाले किसान बजरी खनन से प्रभावित होगें। तरह–तरह की समस्यायें उत्पन्न होगी। स्थानीय लोग पेटा कास्त करके अपने व अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, बजरी खनन से ये किसान लोग बेरोजगार हो जाएगें।

vii) बजरी के परिवहन से ग्रामीण सड़के टूटती हैं। ग्रामीण सड़को से बजरी के ओवरलोड वाहन गुजरते हैं जिससे धुल उड़ती हैं एवं ग्रामीणों का स्वास्थ्य खराब होता हैं, तथा स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ता है।

viii) बजरी खनन से गाँवों मे असामाजिक तत्वों का विचरण होता हैं। अनजाने लोग पता नही कहाँ– कहाँ से आते हैं, जिससे दुर्घटनाए घटित होती हैं, जैसे लोगों से मार–पीट करना, शराब पीना, गाँव के सौहार्द को बिगाड़ना आदि।

ix) पूर्व मे अनियमित खनन के कारण नदी मे गहरे–गहरे गड्डे हो गये हैं। जिसमें डूबकर कई बच्चे व जानवर मर चुके हैं।

उक्त सभी कारणों को ध्यान मे रखते हुए लीज जारी नही की जाए।

2. **श्री राजेश कुमार मीणा पुत्र श्री गोपाल लाल मीणा, निवासी ग्राम–सतवाडा, तहसील–देवली, जिला–टोंक** द्वारा बताया गया पूर्व मे क्षेत्र मे मीठा पानी था। अब बजरी के खनन की वजह से पानी मे फ्लोराइड की मात्रा बढ़ी हैं तथा बजरी खनन की वजह से पानी पीने योग्य नहीं बचा है। लीज स्वीकृति जारी नही करनी चाहिए। हमारी आपत्ति के बाद भी यदि लीज को स्वीकृति जारी करते हैं तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा एवं हम लोग धरना प्रदर्शन करेगें। हम लोग गाँव मे रहते हैं एवं बजरी की सुरक्षा करते

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

हैं। मेरा घर नदी के किनारे स्थित है। इससे पहले गाँव के दूसरी तरफ रहते थे, अब गाँव मे नदी की तरफ बसे है। अब यहाँ से कहाँ जाएगें ? पानी खारा हो चुका हैं, जिसका प्रमुख कारण बजरी का उठना हैं। प्रशासन को समस्या नजर नहीं आ रही हैं, पानी मे इतना फ्लोराइड है कि नमक की तरह जम जाता है। मेरे साथ चलिए मे आपको दिखाता हूँ। नदी मे नई बजरी की आवक नही हैं। मैं नदी के किनारे ही रहता हूँ, मेरा घर नदी से लगभग 50 मीटर दूर स्थित है। इससे बड़ा सबूत/गवाह मे नही दे सकता हूँ। इसके बाद भी यदि बजरी लीज चालू की जाती हैं तो यह हमारे अधिकारों पर कुठाराघात हैं। मेरे घर के आस–पास तीन–चार घर हैं जिन्हे पैरालाइसिस की बीमारी हो गयी हैं। जानवर मरते हैं, बिमारियां होती हैं। अब सरकार की नजर है कि बजरी पडी है, इनकम का स्त्रोत हैं। हमारे पूरे गाँव की आपत्ति हैं, कोई सहमत नही हैं, कौन चाहेगा अपना क्षेत्र बर्बाद करना? कौन चाहेगा अपने घर बर्बाद करना? यदि पर्यावरणीय अनापत्ति जारी की जाती हैं व लीज चलाई जाती हैं तो हमारे पास आन्दोलन करने का ही एक मात्र विकल्प बच जाता हैं। कमाने के लिए बाहर के लोग आयेंगे, बजरी बाहर जाएगी, यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या मिलेगा? खारा पानी, उनका स्वास्थ्य खराब होगा। ये तो सरकार का अधिकार नही हैं। आम लोगों की परेशानी को समझे। उसी के बाद पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करे। हमने अपनी बात रख दी। आप जैसा उचित समझे वैसा करें।

परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार के प्रतिनिधि श्री उमेश शर्मा द्वारा प्रत्युत्तर मे बताया गया कि गाँव सतवाड़ा, विजयगढ़, राजमहल, बोटून्दा व दूनी से पानी के नमूने लिए गये और उनका विश्लेषण करने के बाद जो परिणाम आये वह निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये। आप कह रहे है, आपके यहा खारा पानी हैं, हमने भी यहाँ पर सर्वे किया हैं एवं पानी मीठा पाया गया हैं। केन्द्र भूजल प्राधिकरण की रिर्पोट के अनुसार भी यहाँ पर पानी मीठा हैं। आप यदि फिर भी नही मानते हैं तो आप हमें पानी के सेम्पल उपलब्ध करा देना हम उनकी टेस्टिंग कराकर, रिपोर्ट संलग्न करेगें/दिखायेंगे। पारिस्थितिक तन्त्र मे जैसे घोंघे, कच्छुए आदि Schedule-I Species के अन्तर्गत आते हैं। जब यह खनन परियोजना चालू होगी तो उससे पहले भारत सरकार के वन एवं

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जारी Schedule-I Species/प्रजाति के लिए संरक्षण योजना (Conservation Plan) बनाया जाएगा, उस संरक्षण योजना को वन विभाग को भेजा जाएगा एवं वन विभाग से समूचित जो भी इस बाबत् मद का प्रावधान (Budgetry Provision) होता हैं। उसके अनुसार फीस जमा कराई जाएगी। Schedule-I Species आस–पास के Floura & Fauna (वनस्पति तथा जानवरों का क्षेत्र के अनुसार जीवनकाल) आस–पास के पशु पक्षी को किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो इसके लिए भी हम प्लान प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा सड़को की मरम्मत का प्रावधान भी हैं, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR/EMP) के अन्तर्गत लिए हुए हैं। बजरी खनन से यदि कोई सड़क टूटेंगी तो हम भरसक प्रयास करेंगे कि उनकी मरम्मत की जाए एवं उन सड़कों को सही रखा जाए। आमजन के स्वास्थ्य के लिए Occupational Health and safty के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर 6 माह मे स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित करेगें एवं आमजन की स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्या का निवारण भी किया जाएगा।

श्री राजेश कुमार मीणा ने पूछा कि पानी के नमूने नदी के अन्दर से लिए गये हैं क्या ?

परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार के प्रतिनिधि श्री उमेश शर्मा द्वारा प्रत्युत्तर मे बताया गया कि जल के नमूने गाँव से लिये गये है व बताया कि भूजल के नमूने नदी से नही लिए जाते हैं।

श्री राजेश मीणा ने उपस्थित जन समूह से पूछा कि नदी का पानी मीठा हैं क्या? नदी का पानी पीने योग्य हैं क्या?

जन समूह मे से कुछ लोगों ने कहा कि नदी का पानी मीठा तो नही हैं।

3. **श्री दारासिंह केवट, पुत्र श्री केदार केवट, निवासी ग्राम–सतवाड़ा, तहसील–देवली, जिला–टोंक** ने अवगत कराया कि यदि बजरी का खनन होगा तो प्रदूषण तो होगा ही यह सत्य हैं। हमारे गाँव मे पानी तो खराब हुआ हैं। लीज धारक ने लीज आवंटित कराई हैं। वह सरकार के नियमों के अनुसार कार्य करे तो हमें कोई आपत्ति नही हैं। यदि लीज धारक नियम विरुद्ध जाकर खनन कार्य करते हैं तो हमें आपत्ति हैं। लीज

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

धारक बाहर गाँव से श्रमिकों को काम करने के लिए लाते हैं, उनमें कुछ असामाजिक तत्व भी होते है, वो गाँव से रहतें हैं, पैसा कमाते हैं, जिससे गाँव मे असामाजिक तत्व बढतें हैं।

श्री केवट ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मेरे गाँव के स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए, यदि लीज चालू होती हैं तो, जो नियम है कि पानी/भूजल से जितने ऊपर बजरी छोड़नी हैं, वह छोडो। जो आपकी नियम व शर्तो मे हैं उस अनुसार खनन करे। पिछले 20–25 वर्षो से हमारे गाँव मे लीज हो रही है। बजरी सारी उठ चुकी है। जल स्तर से 1.5 मीटर बजरी छोड़नी है वह छोड़ देना। यदि लीज चालू होती हैं तो रोजगार मे प्राथमिकता ग्राम सतवाड़ा के निवासियों को ही मिले।

4. **श्री रोशन केवट पुत्र श्री महावीर केवट, निवासी ग्राम–सतवाडा, तहसील–देवली, जिला–टोंक** ने बताया कि हम बेरोजगार है, यदि इस बजरी खनन परियोजना से हमें रोजगार मिलता हैं तो हमें कोई आपत्ति नही है।
5. **श्री अवधेश शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा, निवासी ग्राम–सतवाडा नयागांव, तहसील–देवली, जिला–टोंक** द्वारा अवगत कराया गया कि यह परियोजना यदि नियम कानून से चलती हैं तब तो कोई आपत्ति नही हैं। जब से मैने होश संभाला हैं तब से बजरी चल रही हैं, बजरी कभी रुकी नही हैं, ये योजना कब चलेगी यह बाद की बात है, लेकिन बजरी अभी भी चल रही हैं। अवैध बजरी जो चल रही हैं मुख्य समस्या उससे हैं। रात मे जो असामाजिक तत्व आते हैं। वह अभी भी आते हैं, पता नहीं कौन–कौन से गाँव से आते हैं। ट्रैक्टर आते हैं, भर–भर कर निकलते हैं। मेरा मकान बिल्कुल सड़क के किनारे स्थित हैं। रात मे बजरी के ट्रैक्टर अत्यधिक तेज चलते हैं जिससे सड़क दुर्घटना होती हैं। अब तक 2–3 लोग सड़क दुर्घटनाओं मे मर भी चुके हैं। यदि बजरी खनन परियोजना नियम के अनुसार चलती हैं तो किसी को कोई आपत्ति नही हैं। बजरी खनन से नुकसान हुआ है, पानी खारा हुआ है, जल स्तर गिरा है। पेय जल के लिए नल से जल की व्यवस्था सरकार ने की हैं। रोजगार स्थानीय लोगों कों मिलना चाहिए। यहाँ पर युवा रोजगार की आस मे बैठे हुए हैं। यदि बजरी खनन

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

नियमानुसार होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पर्यावरण को क्षति को कम करने हेतू कार्य किये जाए तो कोई दिक्कत नही है।

6. **श्री सत्यप्रकाश शर्मा पुत्र स्व. श्री भोला शंकर शर्मा, निवासी ग्राम–राजमहल, तहसील–देवली, जिला–टोंक** द्वारा बताया गया कि बजरी खनन से कुओं का जल नीचे जा रहा हैं इस बार इन्द्र देव की मेहरबानी हैं, इस वर्ष काफी पानी हैं अन्यथा कुओं का पानी बहुत नीचे चला गया था। प्रदूषण की समस्या हैं। बजरी खनन से सभी आस–पास के लोग परेशान हैं अवैध खनन होने से गुण्डागर्दी बढ़ी हैं। आये दिन दुर्घटना होती रहती हैं। बजरी निर्माण कार्यो मे उपयोग होती हैं, जैसे गाँवो मे भी प्रधानमंत्री आवास योजना मे उपयोग मे आ रही हैं कच्चे मकान पक्के बन रहे हैं। बजरी की आवश्यकता भी हैं। सरकार द्वारा लीज आंवटित करेगी ही किसी की मानेगी नही। इस बारे मे पहले भी आन्दोलन हुए है। कलेक्टर साहब तक आये बाकि कोई सुनवाई नही हुई। लीज तो सरकार के नियम से ही होती है। अब हमारा निवेदन हैं कि पर्यावरण का व प्रदूषण का ध्यान रखकर, सारे नियमों का ध्यान रखकर खनन करें। अवैध खनन रूकना चाहिए। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए नदी के किनारे ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जाए। धूल नही उड़े, रास्तों का सही संचालन/रखरखाव किया जाए। उपरोक्त को ध्यान मे रखकर नियमानुसार खनन किया जाए ताकि किसी को कोई समस्या नही हो

7. **श्री प्रियदर्शन पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी ग्राम–राजमहल, तहसील–देवली, जिला–टोंक** द्वारा बताया गया कि बजरी खनन पूरे टोंक जिले के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हैं चाहे वह वैध खनन हो या अवैध खनन। जब मंशा पत्र धारक को यहाँ गत वर्षो मे लीज दी गयी तो वर्ष 2011 से यहा बजरी का खनन चल रहा है। वर्ष 2011 से 2012 तक अवैध खनन होता था, उसका दुष्परिणाम यह आया कि 2012 मे यहाँ भूकम्प का झटका आया एवं केन्द्र टोंक बना। पर्यावरण की क्षति तो निश्चित रूप से हो रही हैं। पानी की उपलब्धता मे भारी गिरावट आयी हैं। बजरी की परत खननकर्ता द्वारा उठाई जाती हैं। बजरी कही से आती तो हैं नहीं, बजरी की आवक कम हो गयी हैं। अतः बजरी की परत पतली से और पतली होती जा रही हैं। बजरी का गुण हैं कि वह पानी को रोककर रखती हैं व पानी की गुणवत्ता बनाकर रखती हैं। बजरी की परत पतली होने के

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

कारण पानी खारा ही नही अपितु कड़वा हो गया हैं। नदी के दोनों किनारों पर संरचनाए है चाहे वह कुएं हो, बावडी हो, हैंडपंप हो, उनका पानी कड़वा हो गया है। यह दुष्परिणाम बजरी के खनन की वजह से ही है। कुछ लोग बता रहे है कि बजरी की आवश्यकता भी है। यह ऐसा मिनरल है जिसका उपयोग मकान बनाने मे होता है, उजाड़ने मे नही होता है। लेकिन इसका दुष्प्रभाव जल स्त्रोतों पर पड़ रहा है। पानी की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए बजरी की परत को आवश्यकता से अधिक पतला नही किया जाए। नियमानुसार खनन के मापदण्डों को पूरा करते हुए यदि बजरी खनन किया जाए तो कोई आपत्ति नही है। किन्तु मंशा पत्र धारक को जब लीज मिल जाती है तो नियम व शर्तें एक तरफ रख दी जाती है एवं अन्धाधुन्ध खनन किया जाता है। जैसे अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे कि ट्रैक्टर चलते है तो दुर्घटना होती है। दुर्घटना तो तब भी ज्यादा होंगी जब मंशा पत्र धारक खनन करेगा, साधन तो उसके भी चलेंगे वो भी अन्धाधुन्ध चलेंगे। इसके लिए विशेष आश्वासन दिया जाए कि खनिज परिवहन करने वाले वाहन गाँव के बीच से नही निकले, गाँव से दूर होकर निकले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोगों का नुकसान कम हो। परियोजना प्रस्तावक ने अभी कहा कि चिकित्सा शिविर लगाये जायेंगे। किसी का स्वास्थ्य बिगाड़ कर उसका इलाज करने से अच्छा है कि यह प्रयास करने चाहिए कि उसका स्वास्थ्य ठीक बना रहें। आप नियम के अनुसार कार्य करिए ताकि लोगों का स्वास्थ्य खराब नही हो एवं चिकित्सा शिविर लगाने की जरूरत ही नही पड़े। नियमों को दरकिनार नही किया जाना चाहिए। नियमो के अनुसार कार्य होना चाहिए तो वह सबके लिए अच्छा है, आम जन के लिए भी अच्छा है व पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। लीज मंशा पत्र धारक के लिए भी अच्छा है। हम सब के लिए अच्छा है।

उन्होनें कहा कि अभी जो लोग रोजगार की बात कर रहे हैं उनसे मेरा कहना है कि आप लोग यहा अपनी समस्याएं बताए, यहा आपको आपकी समस्या बताने के लिए बुलाया गया है न कि रोजगार देने के लिए। रोजगार की बात अलग से भी की जा सकती है यहा समस्याएं बताए। समस्याओं के बारे मे अवगत कराए।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

8. **श्री अवधेश शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा, निवासी ग्राम–सतवाडा नयागांव, तहसील–देवली, जिला–टोंक** ने पुनः कहा कि भैया (श्री प्रियदर्शन जी) ने कहा कि दुर्घटना तो बाद मे भी होगी। श्री महावीर ने कहा कि दुर्घटना अवैध खनन की वजह से होती है क्योकि क्यों कि अवैध खनन वाले वाहन तेज गति से चलते है, उन्हे पकड़े जाने का डर रहता है। अगर खनन करने वाले वाहन नियम से चलेंगे तो धीरे धीरे चलेंगे, दुर्घटना भी नही होगी। श्री महावीर ने कहा कि रोजगार का जिक्र इसलिए किया गया क्यों कि परियोजना प्रस्तावक ने अपनी प्रेजेन्टेशन मे स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात स्वयं कही थी।

परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार के प्रतिनिधि श्री उमेश शर्मा ने बताया कि स्थानीय लोगो को उनको कुशलता के आधार पर रोजगार मे प्राथमिकता दी जाएगी। सभी नियम कानूनों के अनुसार खनन किया जाएगा। बजरी का खनन नदी की सतह से केवल दो 02 मीटर की गहराई तक ही किया जाएगा। ग्राउंड वाटर केवल (भूजल तालिका) से छेड़छाड़ नही की जाएगी। नदी के परिस्थितिक तंत्र को भी प्रभावित नही करेंगे। नदी के जीव जन्तु को भी नही छेडेंगे। क्षमता से अधिक भराव (Over Loading) भी नही की जाएगी। भारी मात्रा मे परिवहन (Heavy Trafficing) नही करेंगे। सभी कार्य नियम से करेंगे।

9. **श्री सत्यप्रकाश शर्मा पुत्र स्व॰ श्री भोला शंकर शर्मा, निवासी ग्राम–राजमहल, तहसील–देवली, जिला–टोंक** पुनः कहा कि अभी परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खनन नियमानुसार होगा व बजरी नदी के तल से नियमानुसार ही उठाई जाएगी लेकिन होता यह है कि बजरी उठा ली जाती है व पुनः उसका मापन कर लेते है।

परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार के प्रतिनिधि श्री उमेश शर्मा ने अवगत कराया कि वर्ष 2020 से पहले बजरी का खनन कितना किया जाए, कितनी गहराई तक किया जाए, इस सम्बन्ध मे कोई स्पष्ट दिशा–निर्देश एवं नियम नही थे। वर्ष 2020 मे (माननीय सुप्रीम कोर्ट) भारत सरकार की CAG की कमेटी की बैठक हुई एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सस्टेनेबल रिवर सेण्ड गाइडलाइन 2020 जारी की गयी उसमे स्पष्ट रूप से

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज०)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

Scanned with OKEN Scanner

लिखा गया कि जो भी खनन किया जाएगा वो सतह से तीन मीटर गहराई तक ही किया जाएगा एवं प्रति वर्ष उसका प्रतिस्थापन अध्ययन (Replenishment Study) कराई जाएगी। Replenishment Study का मतलब होता है कि जैसे 2 मीटर तक खनन कर लिया गया, तो अगले वर्ष बजरी आयी या नही आयी यह जानने के लिए अध्ययन किया जाता है। यदि अगले वर्ष बजरी नही आती है तो उस जगह खनन नही होगा, उससे आगे की तरफ/अन्य जगह लीज क्षेत्र मे खनन होगा। हर साल Replenishment Study की जाएगी जिसकी रिपोर्ट सम्बन्धित SEIAA, प्रशासन, भारत सरकार के वन पर्यावरण एंव जलवायु परिर्वतन मंत्रालय को भेजी जाएगीं। अतः आप (श्री सत्यप्रकाश शर्मा) जो बोल रहे है ऐसी स्थिति अब नही रही है।

श्री सत्यप्रकाश शर्मा ने कहा कि मै जो बात कह रहा हूँ वह वर्ष 2020 के बाद की ही है।

परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार के प्रतिनिधि श्री उमेश शर्मा ने अवगत् कराया कि वर्ष 2020 के बाद खनन सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार ही होगा। वर्तमान मे जो सरकार ने बजरी खनन पट्टे जारी किये है उनमें यह शर्त अंकित की गयी है।

10. **श्री राजेश कुमार मीणा पुत्र श्री गोपाल लाल मीणा, निवासी ग्राम–सतवाडा, तहसील–देवली, जिला–टोंक** द्वारा बताया गया कि पानी मे फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने का सीधा सम्बन्ध बजरी खनन से है। बिसलपुर बांध का पानी मीठा है। बनास नदी किनारे स्थित कुओं का पानी खारा हो चुका है। लगभग 4–5 वर्ष पूर्व कुओं मे मीठा पानी था। जो दिन प्रतिदिन खारा होता जा रहा हैं। उसका कारण हैं बजरी का खनन। बजरी खनन कम्पनी क्या यह आश्वस्त कर सकती हैं कि वर्तमान मे जो पानी मे फ्लोराइड की सान्द्रता हैं उसमें बढ़ोतरी नही होगी।

श्री राजेश मीणा ने पूछा कि कम्पनी के पास पानी मे वर्तमान मे फ्लोराइड की सान्द्रता को भविष्य मे भी समान बनाये रखने व बढने नही देने हेतु क्या उपाय है। मुख्य मुद्दा यह है कि पानी की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। यह विचार करने योग्य बिन्दु है कि लीज धारक पानी की गुणवता को कैसे बनाये रखेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

11. **श्री रामराज जाट पुत्र श्री श्योकरण जाट कि ग्राम–सतवाड़ा, तहसील–देवली, जिला–टोक** द्वारा अगवत कराया गया कि बनास नदी मे पिछले लगभग 20–25 वर्ष से बजरी का खनन हो रहा है। अभी बताया गया कि 3 मीटर तक खनन करने का नियम है, लेकिन सच तो यह है कि बजरी का Replenisment नही होता है। प्रेजेन्टेशन मे बताया गया कि नदी मे जल स्तर 7 से 8 मीटर नीचें है, जबकि सत्य यह कि नदी मे जल स्तर मात्र 0.5 मीटर से 1.0 मीटर ही है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी मे बताई गयी फ्लोराइड की सान्द्रता भी सही नही है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताये गये आकड़े/बाते सही नही है। वह सब झूठ है। बजरी खनन पर्यावरण व गाँव वालो के लिए सही नही है।
12. **श्री प्रियदर्शन पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी ग्राम–राजमहल, तहसील–देवली, जिला–टोंक** द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व मे बजरी नदी से उठा ली गयी है एवं वर्तमान मे रिवर बेड बजरी खनन के लिए उपर्युक्त नही है। खनन से नदी का स्वरूप रखा हो रहा है। पर्यावरण की क्षतिं हो रही हैं, जल स्तर नीचे जा रहा है, पानी की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। बजरी का खनन एक बहुत बडी समस्या है चाहे वह वैध रूप से हो या अवैध रूप से। बनास नदी मे बजरी के खनन पर रोक लगनी चाहिए।

तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा जनसमूह को अवगत कराया गया कि इस जन सुनवाई के दौरान आपने जो बात कही हैं वह रिकार्ड की गयी है एवं उन्हे नोट भी किया है। ये जनसुनवाई मुख्य रूप से इस बजरी खनन परियोजना को लेकर गाँव वालों के क्या विचार है, यह जानने के लिए की जाती है। यह जन सुनवाई प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा आयोजित की जाती है तथा परियोजना प्रस्तावक को अपनी परियोजना की जानकारी आम जन को बतानी होती है। जिला प्रशासन को इसमें इस कारण सम्मिलित किया जाता है ताकि आम जन अपनी बात खुलकर रख सके तथा जो भी बाते यहाँ हुई है वह सरकार तक पहुँचे। परियोजना को पर्यावणीय स्वीकृति जारी होगी या नही होगी, यह निर्णय सरकार लेगी। आपने जो भी बात कही है, जो मुददे, जो मुद्दे, जो समस्याएं आपने बताई वो हूबहू हम कार्यवाही विवरण मे सम्मिलित करके एवं आपने जो लिखित मे दिया है उसे भी कार्यवाही विवरण

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

के साथ संलग्न करके सक्षम स्तर को प्रेषित करेंगे। निर्णय सरकार के स्तर पर किया जाएगा।

उक्त जनसुनवाई के दौरान/पहले/बाद मे निम्नानुसार लिखित आक्षेप/आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए जिनकी प्रति संलग्नक हैं (संलग्नक–य)

क्र. स.	व्यक्ति/संस्था	प्राप्ति दिनांक	विषय
1	प्रशासक एवं अन्य, ग्राम पंचायत–देवीखेड़ा, पंचायत समिति–देवली, जला–टोंक।	02.10.2025	ग्राम सतवाड़ा नयागाँव मे बजरी की लीज को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान नही करने बाबत्
2.	समस्त ग्रामवासी सतवाड़ा नयागाँव, ग्राम पंचायत–देवीखेड़ा, तहसील–देवली, जला–टोंक	02.10.2025	ग्राम सतवाड़ा नयागाँव मे बजरी की लीज को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान नही करने बाबत्
3.	समस्त ग्रामवासी सतवाड़ा नयागाँव, ग्राम पंचायत–देवीखेड़ा, तहसील–देवली, जिला–टोंक	08.11.2025	राज्य सरकार द्वारा जारी बजरी लीज तन सतवाड़ा नयागाँव में ब्लॉक नम्बर 4 को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं करने बाबत्।

अंत मे जन सुनवाई की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(शिव कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

(रान रतन सौंकरिया)
अति॰ जिला कलक्टर एवं अति॰
जिला मजिस्ट्रेट, टोंक (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक – अ

JEEC(P)
04/9/25

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमांकः– / न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2025 / 27402 दिनांक 04/09/2025

पर्यावरण अभियन्ता व क्षेत्रीय अधिकारी
राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
बून्दी।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
प्राप्ति क्रमांक 5918
दिनांक 4/9/25
बून्दी (राज.)

विषयः– Public hearing for Environment Clearence for District Tonk.

उपरोक्त विषयान्तर्गत पर्यावरण जनसुनवाई हेतु टोंक जिले की तहसील देवली में स्थित ग्राम सतवाड़ा एवं तहसील टोंक में स्थित ग्राम लहन में रिवर सेण्ड (बजरी) प्रोजेक्ट चालू किये जाने हेतु निम्नानुसार जनसुनवाई का समय, स्थान व दिनांक नियत किया जाता है:–

क0सं0	पत्रावली पत्रांक व दिनांक / फर्म का नाम	ग्राम का नाम	निर्धारित समय, स्थान व दिनांक
1	पत्रांक 1139 दिनांक 03.09.2025 दालिप लाइम उद्योग	सतवाड़ा	राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत समिति देवली, दिनांक 11.10.2025 प्रातः 11.00 बजे।
2	पत्रांक 1136 दिनांक 03.09.2025 मारुति माइन्स एण्ड मिनरल्स	लहन	कार्यालय तहसीलदार टोंक दिनांक 11.10.2025 को दोपहर 1.00 बजे।

(राम रतन सौंकरिया)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

क्रमांकः– / न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2025 / 27403-13 दिनांक 04/09/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रभारी अधिकारी स्थापना / पुल कलेक्ट्रट, टोंक।
2. उपखण्ड अधिकारी देवली / टोंक।
3. तहसीलदार देवली / टोंक को भेजकर लेख है कि उक्त जनसुनवाई संबन्धित पटवारी को उपस्थित होने हेतु निर्देश प्रदान करें।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति देवली।
5. सहायक खनिज अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग टोंक।
6. श्री जितेन्द्र सिंह नरुका, सहायक प्रशानिक अधिकारी, न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक को भेजकर लेख है कि उक्त जनसुनवाई में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
7. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ....।

अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

Document certified by Ram Ratan Sonkaria <ceo.jjn@gmail.com>.
Digitally Signed by Ram Ratan Sonkaria
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date :04-09-2025 04:35:19

RajKaj Ref No.: 17584271
eSign DSC

Scanned with OKEN Scanner

JEE (P)
764
10/10/2025

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमाकः– / न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2025 / 32776 दिनांकः–10 / 10 / 2025

आदेश

कार्यालय हाजा के पत्रांक न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2025 / 27402–13 दिनांक 04.09.2025 से टोंक जिले में स्थित ग्राम सतवाड़ा में दलिप लाइम उद्योग सतवाड़ा, रिवर सेण्ड (बजरी) प्रोजेक्ट चालू किये जाने हेतु दिनांक 11.10.2025 को प्रातः 11.00 बजे राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पंचायत समिति देवली में पर्यावरणीय जनसुनवाई नियत की गई थी। उक्त पर्यावरणीय जनसुनवाई अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेश तक स्थगित की जाती है।

(राम रतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

क्रमाकः– / न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2025 / 32777–84 दिनांकः–10 / 10 / 2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रभारी अधिकारी स्थापना / पुल कलेक्ट्रट, टोंक।
2. उपखण्ड अधिकारी देवली।
3. तहसीलदार देवली।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति देवली।
5. सहायक खनिज अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग टोंक।
6. पर्यावरण अभियन्ता व क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बून्दी।
7. दलिप लाइम उद्योग सतवाड़ा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

Signature valid
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.10.10 19:08:39 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18268472
eSign 1.0

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमांकः–/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/32822 दिनांकः–यथा हस्ताक्षर

पर्यावरण अभियन्ता व क्षेत्रीय अधिकारी
राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
बून्दी।

JEE(P)
16/10/25

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
प्राप्ति
क्रमांक 715
दिनांक 16/10/25
बून्दी (राज.)

विषयः– Public hearing for Environment Clearence for District Tonk.

उपरोक्त विषयान्तर्गत पर्यावरण जनसुनवाई हेतु टोंक जिले की तहसील देवली में स्थित ग्राम सतवाड़ा में बजरी माइनिंग चालू किये जाने हेतु निम्नानुसार जनसुनवाई का समय, स्थान व दिनांक नियत किया जाता हैः–

क0सं0	पत्रावली पत्रांक व दिनांक/फर्म का नाम	ग्राम का नाम	निर्धारित समय, स्थान व दिनांक
1	पत्रांक 1386 दिनांक 14.10.2025 दलिप लाईम उद्योग सतवाड़ा	सतवाड़ा	राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत समिति, देवली दिनांक 08.11.2025 प्रातः 11.00 बजे।

पर्यावरण जनसुनवाई के लिए कम से कम दो बडी एलईडी स्कीन, उच्च गुणवत्ता का साउण्ड सिस्टम एवं आगंतुकों की पर्याप्त बैठक व्यवस्था एवं पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

(राम रतन सौंकरिया)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

क्रमांकः–/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/22823-29 दिनांकः–यथा हस्ताक्षर
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रभारी अधिकारी स्थापना/पुल कलेक्ट्रट, टोंक।
2. उपखण्ड अधिकारी देवली।
3. तहसीलदार देवली। को भेजकर लेख है कि उक्त जनसुनवाई संबन्धित पटवारी को उपस्थित होने हेतु निर्देश प्रदान करें।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, देवली।
5. सहायक खनिज अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग टोंक।
6. श्री जितेन्द्र सिंह नरूका, सहायक प्रशानिक अधिकारी, न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक को भेजकर लेख है कि उक्त जनसुनवाई में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

Document certified by Ram Ratan Sonkaria <ceo.jjn@gmail.com>.
Digitally Signed by Ram Ratan Sonkaria
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date :16-10-2025 11:57:14

RajKaj Ref No.: 18319145
eSign DSC

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक : ब

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स दलीप लाईम उद्योग, प्लॉट सं. 04, की प्रस्तावित रिवर सेंड (बजरी) खनन परियोजना, खनन क्षेत्रफल 73.61 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 26,49,960 TPA (ROM) निकट ग्राम–सतवाड़ा, तहसील–देवली, जिला–टोंक मय कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 3553.8267 हेक्टेयर खनन परियोजना हेतु आयोजित पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 08.11.2025 (शनिवार) को स्थान राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, पंचायत समिति–देवली, तहसील–देवली, जिला–टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे में उपस्थित अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं नागरिको का उपस्थिति पत्रकः–

क्र.स.	व्यक्ति का नाम	पता / विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	रामरतन सौकरिया	ADM टोंक	[signature]
2	Shiv Kumar	R.O., RSPCB, Bundi	[signature]
3	रामदेव कंवरिया	सतवाड़ा बोरंदा जोधपुरा	[signature]
4.	दिलीपकुमार	बोरन्दा (प्रतिनिधि) जोधपुरा	[signature]
5	जितेन्द्र सिंह	AAO	[signature]
6	रामराज जाट	नयागाँव	[signature]
7	Rajesh Kumar Meena	Satwara	[signature]
8	[illegible] सिंह	Mines & Geology deptt. Tonk	[signature]
9	राधेश्याम पांचाल	सतवाड़ा	राधेश्याम
10	संजय	नेगड़या	[signature]
11	[signature] दारासिंह कुंवर	(सतवाड़ा)	[signature]
12	भोजराज कैवट	सतवाड़ा	भोजराज
13	भोरत भील	सतवाड़ा	भोरत
14	महावीर भील	सतवाड़ा	महावीर
15	आत्माराम प्रजापत	सतवाड़ा	आत्माराम

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता / विभाग का नाम	हस्ताक्षर
16	गोपाल केवट	सतवाड़ा	गोपाल
17	अशोक जाट	लेगडिया	Ashok
18	नन्दलाल गुर्जर	लेगडिया	नन्दलाल गुर्जर
19	अवधेश केवट	सतवाड़ा	अवधेश
20	Ruby Bhati	देव खेड़ा	Ruby
21	महेश चौधरी	सतवाड़ा	महेश चौधरी
22	इमरान पठान	देव खेड़ा	इमरान
23	गिरिश मीणा	देवखेड़ा	गिरिश
24	बन्टी वर्मा	देव खेड़ा	[illegible]
25	नरेन्द्र सिंह	देवखेड़ा	नरेन्द्र सिंह
26	विकास शर्मा	देव खेड़ा	विकास शर्मा
27	कमलान चौधरी	सतवाड़ा	कमलान
28	बन्नो लाल की	~~[illegible]~~ सतवाड़ा	बन्न लाल की
29	शैतान सिंह मीणा	विजयगढ़	शैतान
30	राकेश कुमार वैष्णव	सतवाड़ा	राकेश वैष्णव
31	ओमप्रकाश केवट	सतवाड़ा	ओमप्रकाश
32	रामराज कीर	सतवाड़ा	रामराज
33	मुकेश भील	भील सतवाड़ा	मुकेश
34	लोकेश शर्मा	सतवाड़ा	लोकेश
35	पप्पु राम	सतवाड़ा	लोकेश
36	रोशन केवट	सतवाड़ा	रोशन केवट
37	किशन कीर	सतवाड़ा	किशन कीर
38	अजीत केवट	सतवाड़ा	अजीत केवट

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता / विभाग का नाम	हस्ताक्षर
39	सत्यनारायण केवट	सतवाड़ा	सत्यनारायण
40	[illegible] सिंह	जैसलमेर	[illegible]
41	शैलेन्द्र शर्मा	सतवाड़ा	[illegible]
42	अवधेश कुमार शर्मा	सतवाड़ा	[illegible]
43	जीतराम चौधरी	सतवाड़ा	Jeetram
44	बिरदु सिंह	~~[illegible]~~ नयागांव	[illegible]
45	[illegible] सिंह	सतवाड़ा	[illegible]
46	गंगाकिशन	सतवाड़ा	[illegible]
47	दिलीप जांगिड़	सतवाड़ा [illegible]	[illegible]
48	सत्यनारायण मंडोलिया	सतवाड़ा	[illegible]
49	[illegible] जाट	~~[illegible]~~, बोरून्दा, जोधपुर	[illegible]
50	Umesh Kr. Sharma	Vibrant Technolab Pvt. Ltd	[illegible]
51	Dr. Sunil Chopra	"	[illegible]
52	ओमप्रकाश शर्मा	ग्रा. पो. [illegible]	ओमप्रकाश शर्मा
53	Pankaj Sattawan	JEE, RSPCB, Bundi	Pankaj
54	पुरुषोत्तम [illegible]	राजसमंद	[illegible]
55	नाथूलाल खटीक	संथली	नाथूलाल

संलग्नक – 5

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
प्राप्ति
क्रमांक 710
दिनांक 3/10/25
बून्दी (राज.)

JEE(P)
Received in public Hearing
02/10/25

सेवामें

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक राजस्थान

विषय– राज्य सरकार द्वारा जारी बजरी लीज तन सतवाडा नयागॉव मे प्रर्यावरण स्वीकृति प्रदान नही करने बाबत् ।

महोदय

सविनय निवेदन है कि ग्राम सतवाडा में जारी की गई बजरी लीज जारी किये जानें के विरोध में ग्रामवासियों की आपत्तिया निम्न प्रकार है।

1. पानी में बढती फ्लोराइड की मात्रा
2. कुँओ का गिरता जलस्तर
3. पर्यावरण प्रदूषण (ध्वनि प्रदूषण,वाय प्रदूषण)
4. पेटा काश्त का प्रभावित होना
5. पेटाकाश्त करने वाले किसानों का बेरोजगार होना
6. पारिस्थितिकि तंत्र का बिगडना (जलीय जीव)
7. ग्रामीण सडको की टूटने की समस्या
8. असामाजिक तत्त्वों द्वारा रात्रि विचरण करना तथा सामाजिक सोहार्द बिगाडना
9. अनियमित खनन की वजह से गहरे गड्डों से पशुधन व जनहानि का होना
10. उक्त खसरा नम्बर में बजरी का न होना
11. आदिवासी समाज के लोगो का भूमिहीन होना

अत सखरा न 420,421 ब्लॉक 4,5,6 को ग्रामवासियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त लीजधारको को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं की जाये। अन्यथा ग्राम व क्षेत्रवासियों द्वारा मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पडेगा।

दिनाक 02 / 10 / 2025

प्रार्थी समस्त ग्रामवासी
सतवाडा नयागॉव ग्राम पंचायत
देवीखेडा तहसील देवली जिला
टोक राजस्थान

रामराय
अंगूठा निशानी रामलाल भील
सावरमल
सांवर
भरत
रामराज
हंसराज
रुपाराम
रमेश
Shambhu
रामकुंवार
शोकत
सोहन
राधेश्याम
रामनिवास
कजोड
पोलू
भीमराज
दिलखुश भील
अंगूठा निशानी हीरालाल
राकेश
छीतरलाल

कार्यालय ग्राम पंचायत, देवीखेड़ा

पंचायत समिति, देवली जिला-टोंक (राज.)

क्रमांक : 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक 2/10/025

JEE (P)
Received in Public Hearing
02/10/25

सेवामे

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक राजस्थान

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल बून्दी (राज.)
प्राप्ति
क्रमांक 709
दिनांक 3/10/25

विषय:– राज्य सरकार द्वारा जारी बजरी लीज तन सतवाडा नयागॉव में प्रर्यावरण स्वीकृति प्रदान नही करने बाबत् ।

महोदय

सविनय निवेदन है कि ग्राम सतवाडा में जारी की गई बजरी लीज जारी किये जाने के विरोध मे ग्रामवासियो की आपत्तिया निम्न प्रकार है।

1. पानी मे बढती फ्लोराइड की मात्रा
2. कुँओ का गिरता जलस्तर
3. पर्यावरण प्रदूषण (ध्वनि प्रदूषण,वाय प्रदूषण)
4. पेटा काश्त का प्रभावित होना
5. पेटाकाश्त करने वाले किसानों का बेरोजगार होना
6. पारिस्थितिकि तंत्र का बिगडना (जलीय जीव)
7. ग्रामीण सडको की टूटने की समस्या
8. असामाजिक तत्त्वों द्वारा रात्रि विचरण करना तथा सामाजिक सोहार्द बिगाडना
9. अनियमित खनन की वजह से गहरे गड्डों से पशुधन व जनहानि का होना
10. उक्त खसरा नम्बर में बजरी का न होना
11. आदिवासी समाज के लोगो का भूमिहीन होना

अतः खसरा नं 420,421 ब्लॉक 4,5,6 को ग्रामवासियों की समस्याओ को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त लीजधारको को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं की जाये। अन्यथा ग्राम व क्षेत्रवासियों द्वारा मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पडेगा।

दिनांक 02/10/2025

प्रार्थी समस्त ग्रामवासी
सतवाडा नयागॉव ग्राम पंचायत
देवीखेडा तहसील देवली जिला
टोंक राजस्थान

Received in Public Hearing JEE (P).
08/11/2025

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय,
टोंक राजस्थान।

विषय :– राज्य सरकार द्वारा जारी बजरी लीज तन सतवाड़ा नयागॉव में ब्लॉक नम्बर 4 को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं करने बाबत्

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन हैं कि उक्त लीज जारी करने के विरोध में ग्रामवासियों की आपत्तिया निम्न प्रकार हैं :–

1. पानी में बढ़ती फ्लोराईड की मात्रा
2. कुँओं का गिरता जलस्तर
3. पर्यावरण प्रदूषण (ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण)
4. पेटा काश्त का प्रभावित होना
5. पेटा काश्त करने वाले किसानों का बेरोजगार होना
6. पारिस्थितिकि तंत्र का बिगड़ना (जलीय जीव)
7. ग्रामीण सड़को की टूटने की समस्या
8. असामाजिक तत्वों द्वारा रात्रि विचरण करना तथा सामाजिक सोहार्द बिगाडना
9. अनियमित खनन की वजह से गहरे गड्डो से पशुधन व जनहानि का होना
10. उक्त खसरा नम्बर में बजरी का न होना
11. आदिवासी समाज के लोगो का भूमिहीन होना

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि ब्लॉक नम्बर 4 सतवाड़ा नयागॉव की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त लीजधारकों को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं की जाये अन्यथा ग्राम व क्षेत्रवासियों द्वारा मजबूरन धरन प्रर्दशन व उग्र आन्दोलन करना पड़ेगा।

प्राप्ति क्रमांक 862 दिनांक 10/11/25

दिनांक :–08.11.2025 हस्ताक्षर

समस्त ग्रामवासी सतवाड़ा, नयागॉव
ग्राम पंचायत देवीखेड़ा तहसील देवली
जिला टोंक राज.

नारायण
राधेश्याम
हीरालाल
रोशन
भैंरूलाल जाट
रामनारायण
अजीत
प्रकाश
महावीर
गोपाल
रामराज

केन्द्र में विश्व
आयोजन

केन्द्र के वैज्ञानिकों ने नवाचार, मौसमी फसलों के बीजोपचार, कीट व रोग संरक्षण, पशुओं की बीमारिया तथा मृदा पोषण से लेकर पौध रोपण विषयों पर किसानों के प्रश्नों का निवारण किया। कार्यक्रम में सभी किसानों को सब्जियों की पौध उपलब्ध करवाई गई एवं किसानों को सजीव प्रदर्शन ईकाईयों का भ्रमण कराया गया।

ान निधि से
ाया अध्याय

 तहत अब तक 71.79 लाख किसानों
 है। उन्होंने बताया कि योजना के प्रचार-
जमीनी कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय
 को सक्रिय किया जा रहा है। जमीनी
ना की जानकारी गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी
 हैं, जिससे किसानों में जागरूकता और
 बढ़ रही है।
 में किसानों की पात्रता की पुष्टि भूमि
केवाईसी, आधार और बैंक खातों के
द होती है। पात्र किसान परिवारों को ही
 लाभ दिया जाता है। प्रदेश में इस योजना
ाव देखने को मिल रहा है। छोटी जोत
जो पहले मौसम, बाजार या लागत की
 से जूझते थे, अब उनके पास बीज,
चाई जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए एक
सहायता उपलब्ध है। यह समर्थन ग्रामीण
 नकदी प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे
 में भी गति आती है।

कार्यक्रम का जिला मुख्यालय एवं स्तर पर सीधा प्रसारण

सान सम्मान निधि योजना के तहत चौथी
 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का जिला
ब्लॉक व ग्राम स्तर पर सीधा प्रसारण
जिला स्तरीय समारोह नवीन जिला परिषद
पहर 2 बजे आयोजित किया जायेगा।
ोडल अधिकारी सहकारी समितियों के
ी।

सिरस व नटवाडा में ग्रामीण सेवा शिविरों का हुआ आयोजन

खबरों की दुनिया

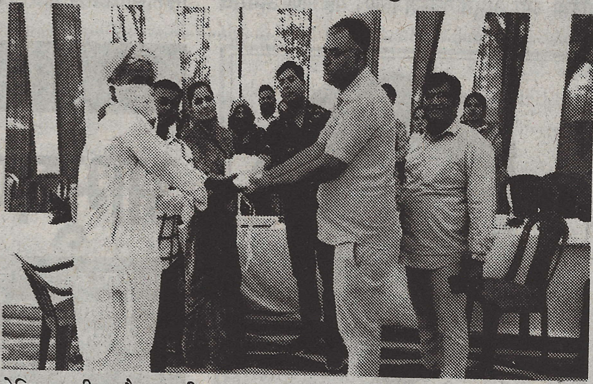

निवाई। सिरस व नटवाडा में ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। इस दौरान रोगियों का निःशुल्क उपचार किया गया। एनसीडी की स्क्रीनिंग, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जांच, पीएमजेएवाई योजना और टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग की गई। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र चौधरी व ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपेंद्र पांचाल ने शिविर स्थलों पर पहुँचकर औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। सिरस शिविर में डॉ. सौम्या एवं उनकी मेडिकल टीम मौजूद रही। नटवाड़ा में डॉ. वेंकटेश डासवानी व उनकी टीम ने सेवाएं दी। शिविरों में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच और उपचार सेवाओं का लाभ लिया। इस दौरान सिरस सरपंच श्योजीराम जाट एवं नटवाडा में सरपंच नीता कंवर व सीएचओ ममता नारोलिया को निक्षय मित्र बनाकर टीबी रोगियों को पोषण किट वितरित की गई। ब्लॉक स्वास्थ्य सुपरवाइजर विष्णुकान्त खंगार ने बताया कि शिविरों से ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं आमजन तक सुगमता से पहुँच रही हैं।

सरकारी स्कूलों से पढ़कर अधिकारी बना लोकेश

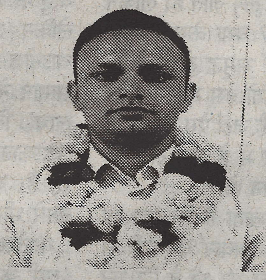

खबरों की दुनिया

टोंक। आरएएस-2023 के अंतिम परिणाम में टोंक जिले के बरोनी गाँव निवासी लोकेश चौधरी ने अपने दूसरे प्रयास में 178वीं रैंक के साथ चयनित होकर माता-पिता, गाँव, जिले का नाम रोशन किया है। लोकेश के पिता किसान एवं माता ग्रहिणी है। लोकेश वर्तमान में जिला कोषालय, टोक में सहायक लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत है, उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवारजनों, स्टाफ साथियों एवं कड़ी मेहनत को दिया। अपनी सम्पूर्ण शिक्षा सरकारी स्कूलों, कॉलेजों से प्राप्त करने वाले लोकेश की सफलता में पूर्व कोषाधिकारी रामावतार शर्मा एवं वर्तमान कोषाधिकारी हरीश कुमार लालावत से मिली निरंतर प्रेरणा का भी विशेष योगदान रहा है।

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER PHED CIRCLE TONK

No. 5840 Date 15.10.2025

Corrigendum to NIT No. 21-22/2025-26

In Continuation to this office NIT No. 21-22/2025-26 issued vide this office letter no. 5559-64 dated 06.10.2025 which was due on 15.10.2025 shall now be received on 27.10.2025 till 06.00 PM and shall be opened on 28.10.2025 on 01.00 PM. Rest condition of Tender Document shall remain same. Further detail may be seen on http://eproc.rajasthan.gov.in and http://sppp.raj.nic.in.

Old RO No. 15151 dated 13.10.2025

(Rajesh Kumar Goyal)
Superintending Engineer
PHED Circle Tonk

Regional Office

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
Email- rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-156/1441 Date : 16/10/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स दलीप लाईम उद्योग, प्लॉट सं. 04 की प्रस्तावित रिवर सेंड (बजरी) खनन परियोजना खनन क्षेत्र 73.61 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 26,49,960 TPA (ROM) निकट ग्राम सतवाड़ा, तहसील-देवली, जिला-टोंक मय कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 3553.8267 हेक्टेयर से सम्बन्धित प्रस्तावित रिवर सेंड (बजरी) माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 11.10.2025 को समय प्रातः 11:00 बजे स्थान राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, पंचायत समिति-देवली, तहसील-देवली, जिला-टोंक में कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई /2025/27402 दिनांक 04.09.2025 द्वारा नियत की गई थी। जिसकी आम सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक RPCB/RO Bundi/PUB-156/1154 दिनांक 04.09.2025 द्वारा जारी कर दैनिक अखबार द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 07.09.2025 व खबरों की दुनिया में दिनांक 07.09.2025 को प्रकाशित की गयी थी।
2. चूंकि,उक्त जनसुनवाई कार्यालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक/न्याय/पर्यावरण जन सुनवाई/2025/32776 दिनांक 10.10.2025 द्वारा अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई, जिसकी आम सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक RPCB/RO Bundi/PUB-156/1363 दिनांक 10.10.2025 द्वारा जारी कर वही दैनिक अखबार द इण्डियन एक्सप्रेस मे दिनांक 12.10.2025 व खबरों की दुनिया मे दिनांक 12.10.2025 को प्रकाशित की गयी।
3. चूंकि,कार्यालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक/न्याय/पर्यावरण जन सुनवाई/2025/32822 दिनांक 16.10.2025 द्वारा उक्त परियोजना हेतु जन सुनवाई पुनः नियत की गयी है।
4. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का. आ.1533 (अ) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या का. आ.2163 (अ) दिनांक 09.05.2022 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में पुनः नियत की गयी जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 15 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :- i. कार्यालय जिला कलेक्टर, टोंक।, ii. कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक।, iii. कार्यालय महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला-टोंक।, iv. पंचायत समिति, देवली, तहसील-देवली, जिला-टोंक।, v. कार्यालय ग्राम पंचायत, देवीखेड़ा, तहसील-देवली, जिला-टोंक।, vi. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।, vii. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।, viii. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।, ix. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला-बून्दी।, x. कार्यालय सहायक खनि. अभियंता,खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जिला-टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/32822 दिनांक 16.10.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 08.11.2025 (शनिवार) को राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पंचायत समिति-देवली, तहसील-देवली, जिला-टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आपत्ति/आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित आपत्ति/आक्षेप/ सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

भवदीय (शिव कुमार) क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., बून्दी

नागौर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड

कृषि उपज मंडी के पास, बीकानेर रोड़, नागौर-341001

E-mail: saras_ngr@yahoo.com

क्रमांक: नादुस/2025-26/10890-10922. दिनांक: 16.10.2025

ई-निविदा सूचना 2025-26

संघ में (1) भण्डार सामग्री ऑफिस एवं प्रिंटिंग स्टेशनरी बाबत एवं जनरल आईटम सप्लाई, (2) भण्डार सामग्री संयंत्र कैमिकल, एसिड एण्ड मैसेज सप्लाई (3) भण्डार सामग्री रॉ मेटेरियल फोर बाई प्रोडेक्ट (4) भण्डार सामग्री पैकिंग मेटेरियल (5) भण्डार सामग्री क्यूसी लैब मेटेरियल (6) S/I/C of TTO Printers with ribbon (7) S/I/C of Plant Machinery, Various Types Pump & other Materials (8) Supply of SS 304 Pipe, Valve, Fittings & MS/GI Pipe Fitting Materials (9) RMG/NMG दुग्ध परिवहन टैंकर हेतु दिनांक 17.10.2025 सायं 5.00 बजे से दिनांक 06.11.2025 को सायं 5.00 बजे तक ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। उक्त ई-निविदाएँ अपलोड/भरने की अंतिम तिथि/निविदा शर्तें, निविदा शुल्क, अमानत राशि इत्यादि का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता हैं अथवा संघ कार्यालय में उपलब्ध है।

(डॉ. भरत सिंह)
प्रबन्ध संचालक

RajCOMP Info Services Limited (RISL)

C-Block, 1st Floor, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur

RISL invites e-bids from the eligible bidders for the following:

NIB No./ Date/ Unique bid no.	Particulars	Estimated Cost/EMD	Start of sale / Last date
F4.3 (633)/RISL/Tech/ 2025/4253 Dated : 17/10/2025 UBN : RIS2526SLOB00042	RFP for Selection of Agency for O&M of Integrated IT Solution (RajERP) for IT Enablement of Various PSUs Under the Govt. of Rajasthan.	Rs. 18 Crore / Rs. 36.00 Lakh	17.10.2025 10.11.2025

Details can be seen on the websites **http://risl.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in, http://doitc.rajasthan.gov.in.** Bids are to be submitted through **http://eproc.rajasthan.gov.in**

Raj.Samwad/C/25/12442 **Managing Director, RISL**

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED

Registered Off.: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400013.

LOAN ACCOUNT NO. 10299836

"Notice is hereby given to the public in general and in particular to Mr. Mangi Ram S/o Mr. Chima Ram (as Borrower) and Mrs. Sita W/o Mr. Mangi Ram (Co-Borrower (s) /Guarantor/s) and their legal heirs/representatives, that the Authorised Officer of TATA Capital Housing Finance Ltd. (TCHFL), by following due procedure under SARFAESI Act 2002, has taken the Physical Possession of the Immovable Property, more particularly described in Schedule A below, as mortgaged with TCHFL. Despite giving several notices you have failed/ neglected to remove inventory lying in the said premises. Hence, vide this notice you are given last chance to remove the inventory lying in the Immovable property within 07 (Seven) days from the date of publication of this notice, failing which the Authorised Officer shall proceed with disposal of the inventory according to merit. The Authorised Officer and TCHFL shall not be held responsible for the same. Please note that we have identified the buyer for selling the lying inventory at the property, there is no response from your side we will dispose of the property to recover our dues.

Schedule - A

All piece & parcels of Residential Property bearing No. 66, Admeasuring 191.66 Sq. Yds. i.e. 1725 Sq. Ft. (30'x57.6'), Comprised in Khasra No. 311, **Situated at Kudi Bhagtasani, Shri Ram Nagar Yojna, Jodhpur (Rajasthan), with all common amenities mentioned in Sale Deed. Boundaries:- North:** Property No. 65, **South:** Property No. 67, **East:** Road 30' Wide, **West:** Property No. 52

DATE :- 18.10.2025 **Sd/- Authorised Officer**
PLACE:- JODHPUR - RAJASTHAN **For TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED**

Regional Office

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
Email- rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-156/1441 **Date : 16/10/2025**

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स दलीप लाईम उद्योग, प्लॉट सं. 04 की प्रस्तावित रिवर सेंड (बजरी) खनन परियोजना खनन क्षेत्र 73.61 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 26,49,960 TPA (ROM) निकट ग्राम सतवाड़ा, तहसील-देवली, जिला-टोंक मय कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 3553.8267 हेक्टेयर से सम्बन्धित प्रस्तावित रिवर सेंड (बजरी) माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 11.10.2025 को समय प्रातः 11:00 बजे स्थान राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, पंचायत समिति-देवली, तहसील-देवली, जिला-टोंक में कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई /2025/27402 दिनांक 04.09.2025 द्वारा नियत की गई थी। जिसकी आम सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक RPCB/RO Bundi/PUB-156/1154 दिनांक 04.09.2025 द्वारा जारी कर दैनिक अखबार द इण्डियन एक्सप्रेस मे दिनांक 07.09.2025 व खबरों की दुनिया मे दिनांक 07.09.2025 को प्रकाशित की गयी थी।
2. चूंकि,उक्त जनसुनवाई कार्यालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक/न्याय/पर्यावरण जन सुनवाई/2025/32776 दिनांक 10.10.2025 द्वारा अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई, जिसकी आम सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक RPCB/RO Bundi/PUB-156/1363 दिनांक 10.10.2025 द्वारा जारी कर वही दैनिक अखबार द इण्डियन एक्सप्रेस मे दिनांक 12.10.2025 व खबरों की दुनिया मे दिनांक 12.10.2025 को प्रकाशित की गयी।
3. चूंकि,कार्यालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक/न्याय/पर्यावरण जन सुनवाई/2025/32822 दिनांक 16.10.2025 द्वारा उक्त परियोजना हेतू जन सुनवाई पुनः नियत की गयी है।
4. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का. आ.1533 (अ) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या का. आ.2163 (अ) दिनांक 09.05.2022 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में पुनः नियत की गयी जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 15 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :- i. कार्यालय जिला कलेक्टर, टोंक।, ii. कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक।, iii. कार्यालय महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला-टोंक।, iv. पंचायत समिति, देवली, तहसील-देवली, जिला-टोंक।, v. कार्यालय ग्राम पंचायत, देवीखेड़ा, तहसील-देवली, जिला-टोंक।, vi. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।, vii. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।, viii. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।, ix. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला-बून्दी।, x. कार्यालय सहायक खनि. अभियंता,खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जिला-टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/32822 दिनांक 16.10.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 08.11.2025 (शनिवार) को राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पंचायत समिति-देवली, तहसील-देवली, जिला-टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आपति/आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित आपति/आक्षेप/ सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

भवदीय (शिव कुमार) क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., बून्दी

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

Keshavpura Circle Branch, 12, Rangl
District Kota, Rajasthan- 324099, Phon
E-Mail: keskot@bankofbarod

REDEMPTION NOTICE

Notice under Rule 6(2) and/or Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcemen

To, M/s Sai Plasto Industries (Borrower & Firm)
Khasara No. 400/184 & 383/184, Gram Dahra, Patwar Halka Morpa Tathed
Tehsil Ladpura, District Kota, Rajasthan 325 203
Shri Ramesh Chand Pareta S/o Shri Gyarasi Ram Pareta (Partner & Guarantor)
Khasara No. 400/184 & 383/184, Gram Dahra, Patwar Halka Morpa Tathed
Tehsil Ladpura, District Kota, Rajasthan 325 203 &
148-B, Parshvanath Nagar, Deoli Arab Road, Barkheda, Kota, Rajasthan 324001
Shri Hukam Chand Pareta S/o Shri Ramesh Chand Pareta (Partner & Guarantor)
Khasara No. 400/184 & 383/184, Gram Dahra, Patwar Halka Morpa Tathed
Tehsil Ladpura, District Kota, Rajasthan 325 203 &
148-B, Parshvanath Nagar, Deoli Arab Road, Barkheda, Kota, Rajasthan 324001
Shri Manoj Kumar Pareta S/o Shri Ramesh Chand Pareta (Partner & Guarantor)
Khasara No. 400/184 & 383/184, Gram Dahra, Patwar Halka Morpa Tathed
Tehsil Ladpura, District Kota, Rajasthan 325 203 &
148-B, Parshvanath Nagar, Deoli Arab Road, Barkheda, Kota, Rajasthan 324001
Shri Sanjeev Pareta S/o Shri Ramesh Chand Pareta (Partner & Guarantor)
Khasara No. 400/184 & 383/184, Gram Dahra, Patwar Halka Morpa Tathed
Tehsil Ladpura, District Kota, Rajasthan 325 203 &
148-B, Parshvanath Nagar, Deoli Arab Road, Barkheda, Kota, Rajasthan 324001
Shri Shivraj Singh Solanki S/o Shri Govind Singh Solanki (Guarantor)
Rajput Mohalla, Namana, District Bundi, Rajasthan 323022 &
Plot No. 121 Parshvanath Nagar, Deoli Arab Road, Barkheda, Kota 324001
Smt. Santosh Pareta W/o Shri Ramesh Chand Pareta (Guarantor)
Plot No. B-148, Parshvanath Nagar, Deoli Arab Road, Barkheda, Kota 324001 &
Anta, Ward No. 5, Anta, Antah, Baran, Rajasthan 325202

Re: Notice under Rule 6(2) and/or Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Se Act, 2002 (SARFAESI Act, 2002).

Ref :- 1. Demand Notice dated 16.07.2025 issued u/s 13(2) of SARFAESI Act 2002.
2. Possession Notice dated 03.10.2025 issued u/s 13(4) of SARFAESI Act 20

Dear Sir/Madam,

Whereas the Authorised Officer of the **Bank of Baroda, Keshavpura Circle Branch, Main Road, District Kota, Rajasthan** being Secured Creditor Bank in exercise conferred u/s 13(2) of the SARFAESI Act 2002 (hereinafter refereed as "Act") read w Security Interest (Enforcement) Rules 2002 (hereinafter refereed as "Rules") issued d dated **16.07.2025** calling upon you being Borrowers (s)/ Mortgagor (s) / Guarantor (s amount stated in the said demand notice within 60 days from receipt of said notice.

And whereas you have failed to repay the amount, the undersigned in exercise of the pow u/s 13(4) of the said Act read with Rule 4 and/or Rule 8 of the Rules have taken over the Secured Assets (hereinafter referred as the said properties) more particularly described Schedule.

Even after taking possession of the secured asset, you have not paid the amount du mentioned in above Possession Notice. Your attention is invited to the provisions of sub-Section 13 of SARFAESI Act, 2002 in respect of time available, to redeem the secured ass Therefore you all are requested to pay the dues as mentioned in possession notic applicable interest, cost, charges & expenses within 30 days from receipt of this notice an secured asset as mentioned below. In case you fail to pay the above mentioned dues & secured asset within 30 days from receipt of this notice, Bank will be constrained to sell asset through public e-Auction by publication of e-Auction Sale notice. The date, time of e Reserve Price of the property shall be informed to you separately.

Schedule of Secured Assets/Properties

S. No.	Description of the Immovable Properties	Date of Possession	Type of Possession (Symbolic/ Physical)	Date of of Posse (For Ir prope
1.	Equitable Mortgage of Industrial Land 0.3400 Hectare East Side Aaraji Khasra No. 424/184, West Rakaba 1.2200 Hectare, Gram Dahra, Patwar Halka Morpa, Tathed, Tehsil Ladpura, District Kota 325203 Rajasthan in the name of M/s Sai Plasto Industries through Partner Shri Sanjeev Kumar Pareta S/o Shri Ramesh Chand Pareta **Bounded by-** North: Agri. Land Khasara No. 190, South: NH 27, East: Agri. Land K. No. 383, West: Land of owner	03.10.2025	Symbolic	05.1
2.	Equitable Mortgage of Aaraji No. 400/184 middle Rakaba 0.3600 Hectare, Gram Dahra, Patwar Halka Morpa, Tathed, Tehsil Ladpura, District Kota 325203 Rajasthan in the name of M/s Sai Plasto Industries through Partner Shri Sanjeev Kumar Pareta S/o Shri Ramesh Chand Pareta **Bounded by-** North: Agri. Land Khasara No. 190, South: NH 27, East: Land of Owner, West: Agri. Land, K. No. 184	03.10.2025	Symbolic	05.1(
3.	Equitable Mortgage of Plot No. 148 situated at Parshvanath Nagar-B, Tekhda, Tehsil Ladpura, District Kota, Rajasthan area 108.33 Sq. Yds. (Size 30x32+33 Ft./2 total area 975 Sq. Ft.) out of Araji Khasra No. 19, Village Tekhda, Tehsil Ladpura, District Kota, Rajasthan in the name of Smt. Santosh Pareta W/o Shri Ramesh Chand Pareta **Bounded by-** North: Plot No. 149, South: Plot No. 147, East: Road 30', West: Other's Aaraji	03.10.2025	Symbolic	05.10
4.	Equitable Mortgage of Plot No. 121 situated at Khasra No. 19, Parshvanath Nagar, Tekhda, Tehsil Ladpura, District Kota, Rajasthan area 111.11 Sq. Yds. in the name of Shri Shivraj Singh Solanki S/o Shri Govind Singh Solanki **Bounded by-** North: Plot No. 120, South: Plot No. 122, East: Plot No. 110, West: Road	03.10.2025	Symbolic	05.10.

Yours
Authorize
Bank of Baroda, Keshavpura Circle Bran

तेश शर्मा, प्रबंध निदेशक, सैन्ट क्षा समिति, टोंक द्वारा माँ प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन । डॉ. सरोज चांपावत ने श्रीमान का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत श शर्मा ने विद्यार्थियो को शिक्षण के बारे में बताया तथा ताया कि विद्यार्थी शिक्षक का रते है उन पर विश्वास करते है ो पर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी से ईमानदारी से निभाया जाये तो निश्चित ही शिक्षक सम्मान के हकदार होगें। इसके साथ ही डॉ. शिव सिंह राजावत विभागाध्यक्ष बी.एससी बी.एड. ने भी छात्राओं को बताया कि शिक्षको में वाछित कौशल होने चाहिए इस प्रकार की कार्यशालाएं आपके जीवन मे लाभदायक होगी। मन्जु माथुर प्राचार्य सैन्ट सोल्जर बालिका विद्यालय ने भी छात्राओं को अध्यापक के सही अर्थ से रूबरू करवाया। कहा कि असली अध्यापक वही हैं, जो निरतर अध्ययनशील है। सात दिवसीय कार्यशाला के फीडबेक मे छात्राओ शिवानी गौत्तम पलक वर्मा अलीना कौसर, मनचेता, कोमल वैरागी, मनीषा, अर्चना, फारेहा खुशबु शर्मा तथा मोनिका मीणा ने कार्यशाला को ज्ञानवर्धक रोचक तथा शिक्षण में कुशलता लाने वाली वताई डॉ. सरोज चापांवत ने अपने साथी प्रवक्ताओं का धन्यवाद दिया जिन्होने इस कार्यशाला को जीवन्त बनाने में अपना योगदान दिया। महाविद्यालय के अन्य प्रवक्ता, कमलेश कुमार मीणा, भागचंद वैष्णव, नरेन्द्र कुमार जैन, गिरिराज प्रसाद प्रजापति, कुमार, कविता विजय, डॉ. शक्ति अनुराधा तंवर, सम्पत सैनी लि महावर, मेहविश अमरीन, सपना अग्रवा शैतान सिंह नरूका संजय बैरवा, औ वी.ए.बी.एड प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष तथा बी.एड प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष तथा डी.एल.एड प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष की छात्राध्यापिकाएं उपस्थित रही कार्यक्रम का संचालन नरेन्द्र कुमार जैन द्वारा किया गया।

प्रशिक्षक के प्रशिक्षण ा हुआ आयोजन

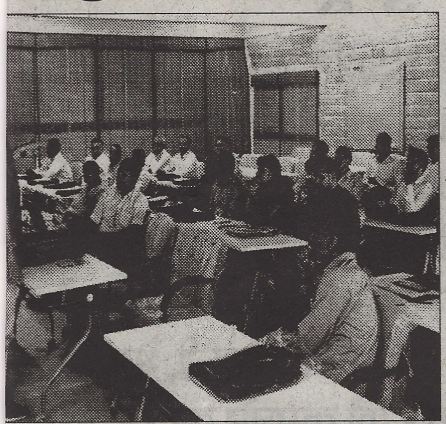

शर्मा ने प्रशिक्षण प्रदान किया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कृष्ण गोपाल शर्मा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रहे, उन्होंने भी अपने उद्बोधन में कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए पूर्ण निष्ठा से कार्य करने की अपेक्षा की। जिले के समस्त ब्लॉक से ब्लॉक समन्वयक तथा दक्ष प्रशिक्षक प्रशिक्षण में उपस्थित हुए।

आबेदा कैफ़ी ने सभी को लेखा सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध करवाई। लीना सैनी कार्यालय सम्बन्धी अन्य कलापों के बारे में जानकारी दी।

मीणौ की झौपडिया के संस्कृत विद्यालय में डिजीटल बोर्ड भेंट

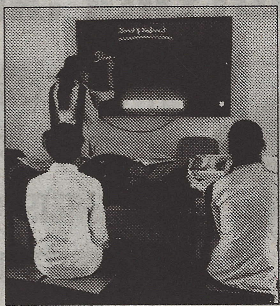

बनेठा (खबरों की दुनिया) । मीणौ की झौपडिया ग्राम में स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में शनिवार को संस्कृत शिक्षा की संजीवनी सुप्रीम फाउण्डेशन जसवंतगढ द्वारा डिजिटल बोर्ड भेंट किया गया। फाउंडेशन समन्वयक विष्णु शर्मा ने बताया अब डिजिटल बोर्ड के माध्यम से छात्रों में अध्ययन में नवाचारों के उपयोग के साथ सीखने के प्रति रुचि बढ़ेगी। गौरतलब है कि सुप्रीम फाउंडेशन जसवंत गढ़ नागौर जिले की लाडनूं तहसील में स्थित है। फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को ध्यान में रखते हुए 2016 से लाडनूं ,सुजानगढ़ व बीदासर तहसील के समस्त सामान्य शिक्षा के विद्यालयों सहित डीडवाना-कुचामन,अजमेर, भीलवाडा, टोंक, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, चुरू, हनुमानगढ़,गंगानगर,के राजकीय संस्कृत विद्यालयों तथा राजस्थान के 31 महाविद्यालयों में शिक्षा उन्नयन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।

ार तोमर सहित अतिथि रहे मौजूद

जनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम

सभागार में देखा लाईव

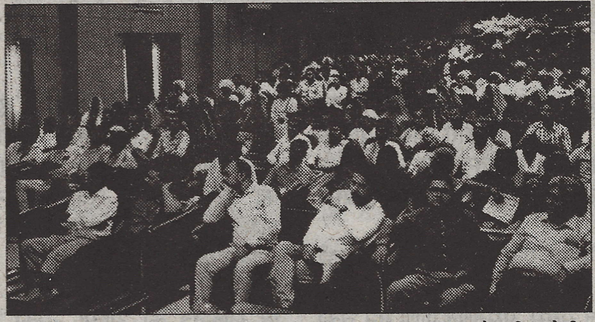

अधिकारी इंद्रभूषण रहे द्य संस्थान कुमार तोमर द्वारा न मे पंधार कर सुनने के लिए संस्थान मे आने योगिता के बारे मे कार्यक्रम मे डॉ दलहन फसलो, पशुओ मे प्रजनन एवं माननीय प्रधानमंत्री के सम्बोधन से सम्बंधित विभिन्न प्रश्न कार्यक्रम मे उपस्थित किसानो से पूछ गये जिसमे विजेता महिला एवं पुरुष किसान को निदेशक एवं अथिति द्वारा सम्मानित किया गया द्य कार्यक्रम मे क्षेत्र के किसानो बहुत अधिक संख्या मे पधारे, जिससे संस्थान के ऑडिटोरियम मे जगह पड़ी कम द्य डॉ अरुण कुमार तोमर के निर्देशानुसार अविकानगर एवं उसके तीन क्षेत्रीय केंद्र बीकानेर, गडसा कुल्लू एवं कौड़ाईकलान तमिलनाडु मे भी इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया एवं सभी जगह के कार्यक्रम मे 700 से ज्यादा महिला एवं पुरुष किसानो द्वारा भागीदारी करके लाभान्वित हुए द्य कार्यक्रम की जानकारी संस्थान के मीडिया प्रभारी डॉ अमरसिंह मीना ने दी जानकारी ।

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर दिया बदलाव का संदेश

टोंक। शिव शिक्षा समिति राणोली द्वारा संचालित परियोजनाओं के तहत अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर अलग-अलग स्थान पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया संस्था सचिव डॉक्टर शिवजी राम यादव ने बताया कि समाज में बालिकाओं को लेकर के जितनी कुरीतियों एवं नियम स्थापित किए गए हैं उनमें बदलाव लाने के लिए लड़कियों को प्रेरक एवं लीडर के रूप में तैयार करना होगा। एक कहानी के माध्यम से अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हुए आगे बढ़ने का संदेश दिया। बदलाव का संदेश देने के लिए कठमाना में 110, हथोना में 130 बालक- बालिकाओं के साथ चित्रकला प्रतियोगिता एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया विजेताओं को उपहार वितरित किए गए।

Regional Office
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
Email~ rorpcb.bundi@gmail.com
No. RPCB/RO Bundi/PUB-156/1363 Date : 10/10/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई स्थगन के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है मैसर्स दलीप लाइम उद्योग, प्लॉट सं. 04, की प्रस्तावित बजरी खनन परियोजना खनन क्षेत्र 73.61 हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता 26,49,960 TPA (ROM), निकट ग्राम सतवाड़ा, तहसील देवली, जिला टोंक मय कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 3553.8267 हेक्टेयर से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई दिनांक 11.10.2025 (शनिवार) समय प्रातः 11:00 बजे स्थान:- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पंचायत समिति देवली, तहसील देवली, जिला टोंक में नियत की गई थी। उक्त जनसुनवाई कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के आदेश क्रमांक/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/32776 दिनांक 10.10.2025 द्वारा अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई है।
2. चूंकि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533 (ई) दिनांक 14.09.2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सुनवाई स्थगन हेतु इस आशय की सूचना दी जानी अनिवार्य है। भवदीय- क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., बून्दी

GOVERNMENT OF TELANGANA
MUSI RIVERFRONT DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
O/o Superintending Engineer, MRDCL, Hyderabad

Tender Notice No.05/SE-II/MRDCL/2025-26, Dt. 11-10-2025

Item No.	Name of the Work
1	Project Management Consultancy Services for proof checking, Construction Supervision, Quality Assurance, Quality Control & Quality Audit for the work of "Construction of an Iconic Bridge across Mir Alam Tank connecting Bengaluru National Highway at Shastripuram to Chintalmet under EPC mode".

Sl.No	Events		Date and Time
1	Start date of Downloading	:	14-10-2025 from 2:00 PM
2	Pre-Bid Meeting	:	18-10-2025 at 3:00 PM **Location:** O/o Chief Engineer, MRDCL, 1st floor, EnC (PH) office, Kashana, AC Guards, Hyderabad
3	Last Date & Time for subission of Bids	:	28-10-2025 up to 3:00 PM
4	Opening of Technical Bids	:	28-10-2025 at 4:00 PM
5	Opening of Price Bids	:	29-10-2025 at 4:00 PM

Note: The Bidders are advised to visit @ www.tender.telangana.gov.in to download PMC Bid Document and EPC project Tender drawings. Any Queries can be addressed to musirdc@gmail.com

Address of the officer concerned Sri K. Vidyasagar, SE, MRDCL
O/o Superintending Engineer, Musi Riverfront Development Corporation Limited,
1 floor, EnC (PH) office, Kashana, AC Guards, Hyderabad-500004
Further details can be seen at 'e' Procurement@ www.tender.telangana.gov.in For any queries pl. contact Mr. Jakeer Hussain, DEE, MRDCL,Contact No: 97013 62815

Sd/-Sueprintending Engineer, MRDCL, Hyderabad.

DIPR R.O.No.701-PP/CL-AGENCY/ADVT/1/2025-26 Dt:11.10.2025

DEEPAK HOUSEWARE & TOYS LIMITED
(Formerly known as Deepak Houseware & Toys Pvt. Ltd.)
CIN.: U25111RJ2020PLC070129
Regd. Office: Plot No. SP2-875, Riico Ind. Area, Pathredi Bhiwadi, Distt. Khairthal-Tijara (Raj.) 301019
Email: Info@urbantots.in | **Phone No:** +91 9588269063

NOTICE

NOTICE is hereby given that 05th Annual General Meeting ('AGM') of Deepak Houseware & Toys Limited (Formerly known as Deepak Houseware & Toys Private Limited) ('the Company') will be held on Thursday, November 06, 2025 at 03:00 p.m. (IST) through video conference ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the business items as set out in the Notice convening the AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rules made thereunder and General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 General Circular No. 19/2021 dated December 08, 2021, General Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, General Circular No. 2/2022 dated May 05, 2022, General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs (herein referred as "MCA Circulars") from time to time and other applicable provisions/circulars, if any, without the physical presence of the Members at the registered office of Company ('Deemed Venue').

In terms of MCA Circulars and relevant provisions of the Act and rules made thereunder, the Notice of the 05th AGM, the Annual Report for the financial year 2024-25 including Report of Board of Directors, its annexures and the Audited Financial statements along with the Auditor's report thereon for the financial year ended on 31st March, 2025 ("Annual Report") has been sent by email to those Members on October 10, 2025 through electronic means, whose email addresses are registered with the Company/Registrar & Share Transfer Agent ('RTA') / Depository Participants ("Depository") as on October 03, 2025. Member attending the meeting through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

In Compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India read with MCA circulars, the Company is providing to its Members the facility of remote e-voting before the AGM as well as e-voting during the AGM. The Company has appointed National Securities Depository Limited ('NSDL') to facilitate voting through electronic means. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of October 30, 2025, may cast their vote electronically on the Ordinary Businesses, as set out in the Notice of the 05th AGM, through the electronic voting system ("remote e-Voting") of NSDL. All the Members are informed that:

(i) The Ordinary Resolutions as set out in the Notice of the 05th AGM, will be transacted through means of electronic voting.
(ii) The remote e-Voting shall commence on Monday, November 03, 2025, at 9:00 a.m. IST;
(iii) The remote e-Voting shall end on Wednesday, November 05, 2025, at 5:00 p.m. IST;
(iv) The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-Voting or through the e-Voting system during the 05th AGM is October 30, 2025;
(v) Any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice of the 05th AGM and holding shares in physical form as on the cut-off date i.e. 30th October 2025, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote.
(vi) Any person, who has acquired shares of the company and becomes Member of the Company after sending the Notice of the 05th AGM and holding shares in demat form as on the cut-off date i.e. 30th October 2025, may follow the steps mentioned under login method for e-voting and joining the virtual meeting for individual shareholders holding securities in demat mode as provided in the Notice.
(vii) A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before the AGM as well as e-voting during the AGM.
(viii) Members may note that:

Regional Office
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
Email- rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-156/1363 Date : 10/10/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई स्थगन के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है मैसर्स दलीप लाईम उद्योग, प्लॉट सं. 04, की प्रस्तावित बजरी खनन परियोजना खनन क्षेत्र 73.61 हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता 26,49,960 TPA (ROM), निकट ग्राम सतवाडा, तहसील देवली, जिला टोंक मय कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 3553.8267 हेक्टेयर से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई दिनांक 11.10.2025 (शनिवार) समय प्रातः 11:00 बजे स्थानः- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पंचायत समिति देवली, तहसील देवली, जिला टोंक में नियत की गई थी। उक्त जनसुनवाई कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के आदेश क्रमांक/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/32776 दिनांक 10.10.2025 द्वारा अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई है।
2. चूंकि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533 (ई) दिनांक 14.09.2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सुनवाई स्थगन हेतु इस आशय की सूचना दी जानी अनिवार्य है। **भवदीय- क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., बून्दी**

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER LAMPHELPAT
NOTIFICATION
Imphal, the 6th October 2025

No. Ex/64/GL/98: Excise Department, Manipur invites application from interested Distillery/ Manufacturer/ Distributor/ Bottler/ Company/ Firm etc having registered office in India for registration of **(i)** Profile and **(ii)** Brand Name & Label of IMFL, Rum, Wine, Beer for sale or offer for sale in Manipur.

2. Interested Distillery/ Manufacturer/ Distributor/ Bottler/ Company/ Firm etc may download the prescribed form and other relevant documents from **www.manipur.gov.in**.
3. Duly filled in application form along with the required documents shall be submittedto the Office of Commissioner of Excise, Government of Manipur, Lamphelpat, Imphal-West, Manipur-795004and **excisemanipur@gmail.com**.
5. The last date for submission of duly filled inapplication form along with required documents is 04:00 PM of 20.10.2025.

Sd/-
(HungyoWorshang)
Commissioner (Excise), Manipur

NASHIK
E
Sinhastha Wo
Nashik Mu
Department vid
invites bids for (
on the webs
dt.11/10/2025 to
acceptance of te
Note - All furth
published on the

जनसंपर्क/जा.क्र/२८४/२

BHAL
Registered O
CIN: U6
E-mail:info

APPENDIX IV [See Rul

The undersigned being th
Securitization and Reconstr
2002, in exercise of the po
Interest (Enforcement) Rule
following table and asked the
date of receipt of the said noti

Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor/Loan Account Num

Loan Account No: BFPL/23/1
Smt. Kamla devi (Borrower),
Shri Mangal Ram Koli (Co-Borrower),
Shri Yadvendra Mahawar (Co-Borrower),
Shri Devendra Mahawar (Co-Borrower),
Shri Bhanwar Lal (Guarantor)

The borrower having failed to
public in general that the und
below in exercise of the powe
with rule 8 of the Security Inter
The borrower's attention is in
respect of time available, to re
The borrower in particular an
property and any dealings wit
Private Limited" till the amount

Place: Jaipur
Date 12.10.2025

IDFC FIRST Bank Limited
(erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited)
CIN : L65110TN2014PLC097792
Registered Office: - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600031.
Tel : +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

IDFC FIRST Bank

Notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from **IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited)** The loans of the below-mentioned borrowers and co- borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loan were classified as NPA as per the RBI guidelines. Amounts due by them to **IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited)** are mentioned as per respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates.

Sr No.	Loan Account No.	Type of Loan	Section 13 (2) Notice Date	Outstanding amount as per Section 13 (2) Notice
1	132686681	LOAN AGAINST PROPERTY	17.09.2025	7,01,755.86/-
NAME OF BORROWERS AND CO-BORROWERS : 1. IMRAN SUBAN 2. RAJIYA IMRAN				
PROPERTY ADDRESS : ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PLOT WITH PATTA NO. 36, BOOK NO. 34, PLOT AREA 130.66 SQ. YDS., SITUATED AT VILLAGE: LASADIYA, GRAM PANCHAYAT: LASADIYA, PANCHAYAT SAMITI: JAWAJA, DISTRICT: AJMER, RAJASTHAN-305901AND **BOUNDED AS: EAST: PAHADI, WEST: AAM RAASTA, NORTH: OPEN LAND, SOUTH: HOUSE OF MAHENDRA SUBHAN**				

राय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी।
अंतिम रूप से विजेता टीम एवं
कद पुरस्कार, मेडल एवं प्रमाण
किया जाएगा।उन्होंने कहा कि
प्रतियोगिताओं के बाद जिला
ा 19 सितम्बर को जिला
में आयोजित की जाएगी।
में प्रधानाचार्य महेश शर्मा एवं
ं आशा शर्मा उपस्थित थे।

सेवा संस्थान देवली का निरीक्षण भी किया। जिस दौरान भवन की स्थिति, बच्चों के लिये बिस्तरों की पर्याप्त व्यवस्था, खेलकूद के लिए परिसर, बच्चों की शिक्षा के बारे में जानकारी, भोजन की गुणवत्ता, भवन की साफ-सफाई, मनोविज्ञानी व स्वास्थ्य परीक्षण, संस्थान के संधारित किये जा रहे रजिस्टरों, स्टाफ मैम्बर्स आदि के संबंध में जानकारी ली। रजिस्टर्ड 87 बालकों में से 50 बालक उपस्थित पाए गए।

र्दशी पर जयकारों से गूंजे उठे
ीजी का किया कलशाभिषेक

नेया

जैन समाज की ओर से
दिवस शनिवार को जिन
र्षोल्लास के साथ मनाया
बताया कि जैन मंदिरों में
ो पूजा अर्चना कर श्रीजी
वात मन वचन काय से
न जयकारों से जिनालय
ं महिलाओं ने पीले वस्त्र
अर्चना की। पर्यूषण पर्व
ने व्रत रखा। इसके तहत
बृहद शांतिधारा की गई।
प्रवीण कुमार हरीश जैन
को प्राप्त हुआ। ब्रह्मचर्य
गया है कि समस्त धर्मों

का राजा ब्रह्मचर्य धर्म है। ब्रह्मचर्य यानि ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या करके लीन होना। उसका आस्वादन करना ही वास्तविक उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। दोपहर में पालकी में बिठाकर भगवान के यंत्र का जुलूस निकाला गया। जुलूस मुख्य मार्गो से होता हुआ कोठी की बावड़ी तक गया। इस दौरान समाज के पदम पांडया, दिनेश पाण्डया,बसंत जैन, विजय मेहंदीवाल, सुनिल पाटनी, रामावतार, हेमचंद सोगानी सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे।

का त्याग ब्रह्मचर्य ,
र्मान सागर महाराज

आत्मा में रमण करते हैं। धर्म रूपी नदी सरोवर में विषय भोग रूपी वस्त्र उतार कर स्नान किया जाता हैं। अब्रह्म विष जहर हैं जो मृत्यु देता हैं और ब्रह्म अमृत है जो जीवन देता हैं आत्मा की खोज धर्म से होती हैं।विषय कषाय से आत्मा को इन दश धर्मों से संत समागम से खोज कर सिद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकते है। प्राचीन आचार्य श्री जिनसेन स्वामी ने बचपन से कपड़े नहीं पहने। बह बालब्रह्मचारी रहे।

इसी प्रकार सेठ सुदर्शन ओर सेठ जिनदत्त ओर जिंनदत्ता भी ब्रह्मचर्य व्रत पालन में प्रसिद्ध रहे है। चतुर्दशी पर आचार्य श्री सहित साधुओं और अनेक श्रावक श्राविकाओं ने उपवास किए। शाम को नगर के सभी मंदिरों में बड़ा अभिषेक हुआ।

टोंक। शिक्षक दिवस पर मेढ क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा जिला इकाई टोंक द्वारा शिक्षक सम्मान का आयोजन किया गया। टोंक महामंत्री गोविंद बुकन ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत जिलाअध्यक्ष कृष्ण कन्हैया सोलीवाल ,मुख्य अतिथि IGNOU के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक एवं जाने माने शिक्षाविद डॉ. के. के. गौतम (सोनी),भामाशाह राधेश्याम सोनी एवं विजय सोनी, महिला संभाग प्रभारी किरण सोनी, महिला जिलाध्यक्ष हंसा सोनी द्वारा अजमीढ महाराज के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। मुख्य अतिथि द्वारा स्वर्णकार समाज के सभी शिक्षकों का माल्यार्पण एवं शाल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जिन शिक्षकों को सम्मानित किया गया उसमे सर्व दशरथ सोनी, नरेंद्र मोहन सोनी, हंसा सोनी, सीता राम बाथरा, मति मंजू लता सोनी, बिन्दू चंद्र प्रकाश सोनी, पुरुषोत्तम सोनी, विनय सोनी, बलराम मोहन सोनी, राम सोनी, भारती सोनी, सुमन सोनी, सचिन सोनी, मीना सोनी, नंद किशोर सोनी, ममता सोनी, दीपा सोनी, रेखा सोनी, सविता सोनी, मीरा सोनी, ज्योति सोनी आदि शामिल थे। जिलाध्यक्ष कृष्ण कन्हैया सोनी ने शिक्षक दिवस की अवधारणा को समझाया।

दशरथ सोनी, नरेंद्र मोहन सोनी, मंजू लता सोनी, सीता राम सोनी , राम अवतार सोनी आदि ने अपने सारगर्भित विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की एंकरिंग कर रहे राजेन्द्र सोनी ने मेढ क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा के आने वाले समय मे किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बताई उसमे स्वर्णकार समाज के बच्चो के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था के लिए कहा जिसका सभी ने समर्थन किया।

Regional Office

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD LiFE

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

Email- rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-156/1154

Date : 04/09/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मैसर्स दलीप लाईम उद्योग, प्लॉट सं. 04 की प्रस्तावित बजरी खनन परियोजना खनन क्षेत्र 73.61 हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता 26,49,960 TPA (ROM), निकट ग्राम सतवाड़ा, तहसील देवली, जिला टोंक मय कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 3553.8267 हेक्टेयर से सम्बन्धित प्रस्तावित बजरी खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति/राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
2. चूंकि मैसर्स दलीप लाईम उद्योग द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय जनसुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533 (ई) दिनांक 14/09/2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
4. उक्त परियोजना से संबधित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख (हिन्दी व अंग्रेजी में) निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:- (i.) कार्यालय जिला कलक्टर, टोंक। (ii.) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। (iii.) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालना डूंगरी, जयपुर। (iv.) क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। (v.) कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक। (vi.) कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला टोंक। (vii.) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी। (viii.) कार्यालय सहायक खनि. अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, टोंक, जिला टोंक। (ix.) कार्यालय पंचायत समिति देवली, तहसील देवली, जिला टोंक। (x.) कार्यालय ग्राम पंचायत देवीखेड़ा, तहसील देवली, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक के पत्र क्रमांक:- न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/27402 दिनांक 04.09.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबधित जन सुनवाई में दिनांक 11.10.2025 (शनिवार) को स्थान राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत समिति देवली, तहसील देवली, जिला टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आपत्ति/आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस संबंध में आपत्ति/आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

भवदीय (शिव कुमार) क्षेत्रीय अधिकारी, रा.रा.प्र.नि.मं.,बून्दी

Regional Office

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD LiFE

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

Email- rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-155/1167

Date : 04/09/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मैसर्स मारूति माईन्स एण्ड मिनरल्स, प्लॉट सं. 41, बजरी प्लॉट संख्या-12, की प्रस्तावित बजरी खनन परियोजना खनन क्षेत्र 38.67 हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता 13,92,210 TPA (ROM), निकट ग्राम लहन, तहसील टोंक व जिला टोंक मय कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 3553.8267 हेक्टेयर से सम्बन्धित प्रस्तावित बजरी खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति/राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
2. चूंकि मैसर्स मारूति माईन्स एण्ड मिनरल्स, द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय जनसुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533 (ई) दिनांक 14/09/2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
4. उक्त परियोजना से संबधित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख (हिन्दी व अंग्रेजी में) निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:- (i.) कार्यालय जिला कलक्टर, टोंक। (ii.) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। (iii.) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालना डूंगरी, जयपुर। (iv.) क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। (v.) कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक। (vi.) कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला टोंक। (vii.) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी। (viii.) कार्यालय सहायक खनि. अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, टोंक, जिला टोंक। (ix.) कार्यालय पंचायत समिति टोंक, तहसील टोंक, जिला टोंक। (x.) कार्यालय ग्राम पंचायत पालड़ा, तहसील टोंक, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक के पत्र क्रमांक:- न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/27402 दिनांक 04.09.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबधित जन सुनवाई में दिनांक 11.10.2025 (शनिवार) को स्थान कार्यालय तहसीलदार टोंक, जिला टोंक में समय दोपहर 01:00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आपत्ति/आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस संबंध में आपत्ति/आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

भवदीय (शिव कुमार) क्षेत्रीय अधिकारी, रा.रा.प्र.नि.मं.,बून्दी

संलग्नक – स

n)
om
D
Circle, Udaipur –
2 and in exercise
es on the dates
hin 60 days from
is hereby issued
of the properties
dates mentioned
o deal with the
ar Shastri Circle,
d Act, in respect

res Constructed,
ith Fixtures And
And Anything

ned By:-
t S/o Mr. Kailash
. 02, Patta No.
arupganj, Tehsil-
jasthan) Having
nded By:- East –
, West – Ganpat
mawat, South–

nance Limited

emand
otice

with Rule 3 of the
Limited by virtue
Reconstruction of
3 of the Security
al Heir(s) / Legal
spective Notice/s,
esses of the said
) / Legal Heir(s) /
s.
HDFC, within 60
as detailed in the
n agreement and
set(s) have been
provisions of sub-

sset(s)
(ies)

FLOOR, MITUL
, AJMER ROAD,
G- 1209 SQ. FT.

HUBH MANGAL
NAGAR, NEAR
D, UDAIPUR
SQ. FT. (SUPER

, EMERALD,
ENCY, VILLAGE
NER, JAIPUR
560.00 SQ. FT.

NAGAR, SRI
ADMEASURING-
NDED BY: EAST-
-A-13, NORTH-

FLOOR, VIJAY
ISHALI ESTATE
RAJASTHAN)
SQ. MTR.

HEIGHTS, PLOT
ARWAS, AJMER
EASURING- 940

N TOWER, PLOT
KUDLI, JAIPUR-
(RAJASTHAN)

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मकान न. 3/460, मालवीय नगर योजना, जयपुर के कन्वेसिंग डीड दिनांक 10.01.1992, जो कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कपूर चन्द जैन पुत्र श्री कन्हैया लाल जैन के नाम से जारी की गई थी। वो कहीं खो गई थी, जिसकी पुलिस कम्पलेंट बाबत गुमशुदगी पुलिस थाना माणक चौक जयपुर पर रिपोर्ट संख्या 35 दिनांक 15.01.2012 को कराई गई थी। मेरा अभिभाष्य उक्त सम्पत्ति पर एस.बी.आई. बैंक से ऋण प्राप्त कर रहा है। उक्त कन्वेसिंग डीड किसी को मिले या आपत्ति हो तो 7 दिवस में सम्पर्क करें। बाद मियाद आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

दिनांकः 06.09.2025
जयपुर।

राजीव सिंहल (एडवोकेट)
9351412220

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवकिला श्रीमती जसौदा पत्नी स्व. श्री पुखराज जी जाति घांची निवासी जाटा बास महामन्दिर, जोधपुर के मालिकाना हक का एक मकान वाके जाटाबास महामन्दिर जोधपुर का असल बेचाननामा दिनांक 25.07.1945 गासीराम बहक गोकलराम व इसी जायदाद का असल हकतर्कनामा दिनांक 30.05.2019 सोहनलाल वगैरा बहक बाबूलाल क्रमांक 201903051105917 पर पंजीबद्ध सुदा है। उक्त दस्तावेजात दिनांक 30.06.2025 को मेरे मुवकिला के घर से महामन्दिर तीसरी पोल जाते समय रास्ते में किसी स्थान पर गिर गये जो काफी ढूंढने पर भी आज दिन तक नही मिले है। उक्त दस्तावेज की गुमसुदगी L.R. No. 2884904/2025 Dated 03.09.2025 को दर्ज है। उक्त दस्तावेज किसी को प्राप्त होने पर मुझे लौटावे। यदि किसी के द्वारा उक्त दस्तावेज का दुरुपयोग किया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी व जवाबदारी उसकी स्वयं की रहेगी। सो सूचित रहे।

कैलाशसिंह भाटी, एडवोकेट
मायली मण्डायता, मण्डोर, जोधपुर, मो. 9414494164

Regional Office

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
Email- rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-156/1154 Date : 04/09/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मैसर्स दलीप लाईम उद्योग, प्लॉट सं. 04 की प्रस्तावित बजरी खनन परियोजना खनन क्षेत्र 73.61 हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता 26,49,960 TPA (ROM), निकट ग्राम सतवाड़ा, तहसील देवली, जिला टोंक मय कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 3553.8267 हेक्टेयर से सम्बन्धित प्रस्तावित बजरी खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति/राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निधारण प्राधिकरण राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
2. चूंकि मैसर्स दलीप लाईम उद्योग द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय जनसुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533 (ई) दिनांक 14/09/2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
4. उक्त परियोजना से संबधित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख (हिन्दी व अंग्रेजी में) निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:- (i.) कार्यालय जिला कलक्टर, टोंक। (ii.) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। (iii.) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालना डूंगरी, जयपुर। (iv.) क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। (v.) कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक। (vi.) कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला टोंक। (vii.) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी। (viii.) कार्यालय सहायक खनि. अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, टोंक, जिला टोंक। (ix.) कार्यालय पंचायत समिति देवली, तहसील देवली, जिला टोंक। (x.) कार्यालय ग्राम पंचायत देवीखेड़ा, तहसील देवली, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक के पत्र क्रमांकः- न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/27402 दिनांक 04.09.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबधित जन सुनवाई में दिनांक 11.10.2025 (शनिवार) को स्थान राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत समिति देवली, तहसील देवली, जिला टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आपत्ति/आक्षेप/सुक्षाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस संबंध में आपत्ति/आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

भवदीय (शिव कुमार) क्षेत्रीय अधिकारी, रा.रा.प्र.नि.मं.,बून्दी

SOFCOM SYSTEMS LIMITED

(CIN : L72200RJ1995PLC010192)

Registered Office : D-36, Subhash Marg, Flat No. 802, Sheel Mohar Apartment, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan, India-302001, **Tele :** 91-141-2340221/2346283, **Fax :** 91-141-2348019, **Email :** cs@sofcomsystemslimited.com, **Website :** www.sofcomsystemslimited.com

NOTICE

Notice is hereby given that the **30th Annual General Meeting ('AGM')** of the members of **Sofcom Systems Limited** will be held on **Monday, September 29, 2025 at 3:00 P.M.** through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means (OAVM') facility. (E-copy available at www.sofcomsystemslimited.com

The AGM will be held through VC/OAVM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with circular dated 13th January, 2021 in continuation of MCA Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and SEBI circular dated 15th January, 2021 in continuation of SEBI circular dated 12th May, 2020 permitted the holding of the Annual General Meeting ('AGM') through VC/OAVM facility without Physical presence of member at a common venue.

In compliance with the above circular, E-copy of Notice of AGM along with Annual Report for F.Y. 2024-25 has been sent to all the Shareholders whose email address are registered with the Company/Depositary Participant(s).

Pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration Rules), 2014, as amended, and regulation 44 of SEBI (LODR), 2015, the Company is pleased to provide facility of e-voting to its members. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited as the agency to provide e-voting facility. The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password along with a copy of the Notice convening the meeting has been dispatched through mail to the members. (E-copy available at www.sofcomsystemslimited.com/

The remote e-voting facility shall commence on September 26, 2025 at 9.00 a.m. (IST) and ends on September 28, 2025 at 5.00 p.m. (IST). A person whose name appears in the register of members / beneficial owners as on the cut-off date i.e. September 22, 2025 shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting at the meeting. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares on the cut-off date i.e. September 22, 2025, may obtain the procedure to log in by sending a request at helpdesk.evoting@nsdlindia.com. However, if such a person is already registered with NSDL for e-voting, then the existing user ID and password can be used for casting their vote.

The member will have an opportunity to cast their vote electronically on the business set out in the AGM notice through remote e-voting and the members attending the meeting who have not casted their vote by remote e-voting shall be able to vote at the meeting and details procedure for voting at e-AGM mentioned in the Notes to Notice of the meeting.

Share Transfer books shall remain closed from Sunday, September 21, 2025 to Sunday, September 28, 2025, both days inclusive. In case of any queries/grievances the members / beneficial owners may contact at the following address:

a). MUFG Intime India Private Limited (RTA), 022-49186270/rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com
b). Secretarial Department – +91 96621 98172 | e-mail: cs@sofcomsystemslimited.com

By the Order of the Board of Directors
Sd/-
Tanvi Jay Rupawala
Managing Director
DIN : 10698868

Place : Jaipur
Date : September 07, 2025

MODERN THREADS (INDIA) LIMITED

Reg. Office : Modern Woollens, Pragati Path, Bhilwara–311001 (Raj.), India
Phone : 91-1482-241801, **CIN: L17115RJ1980PLC002075**
E-mail : cs@modernwoollens.com, **Website :** www.modernwoollens.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that **44th Annual General Meeting ("AGM")** of the members of **Modern Threads (India) Limited** ("the Company") will be held on **Tuesday the 30th September, 2025 at 11.00 A.M.** at the Registered Office of the Company at Modern Woollens, Pragati Path, Bhilwara – 311 001 (Rajasthan), India, to transact the business as set out in the Notice of AGM.

In line with the MCA and SEBI circulars, the Annual Report for the year ended **31st March, 2025** together with the Notice of Annual General Meeting has been sent only by electronic mode to all those Members who have registered their email IDs with the Company/Depository Participant(s)/ Registrar and Share Transfer Agent.

The Annual Report of the Company along with Notice of AGM and e-voting instructions will also be available on the Company's website at **www.modernwoollens.com**, BSE Limited website at www.bseindia.com, NSE website at **www.nseindia.com** and also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. The Annual Report for the year ended **31st March, 2025** and Notice of AGM have been sent through e-mail on **6th September, 2025**.

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91(1) of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **24th September, 2025 to 30th September, 2025** (both days inclusive).

Members holding shares in physical form who have not registered their e-mail addresses with the Company/ RTA can obtain Notice of the AGM and Annual Report by providing a duly signed request letter with Folio No., name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back). self-attested scanned copy of PAN and Aadhaar by e-mail to **cs@modernwoollens.com.**

Pursuant to SEBI circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/ CIR/2023/37 dated 16th March, 2023, as amended, it shall be mandatory for all holders of physical securities to furnish PAN, Nomination, Address, Mobile Number, Bank Account Details and Specimen Signature. The members are requested to update their above KYC details (if not yet done) with the Company /RTA. The relevant forms for updation of KYC details can be downloaded from the website of the Company at **www.modernwoollens.com** or RTA website: **www.beetalfinancial.com.**

Pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote by electronic means on all resolutions set forth in the notice of AGM. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). For this purpose, the Company has signed an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) as the agency for facilitating remote e-voting. The facility for voting through poll papers shall be made available at the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting. The remote e-voting period commences from **27th September, 2025 at 9.00 A.M.** and ends on **29th September, 2025 at 5.00 P.M.** The remote e-voting module shall be disabled for e-voting after **5.00 P.M. on 29th September, 2025** and remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. NSDL/RTA will send the "User Id" and "Password for e-voting" to members on their registered email address. The members who have not provided email IDs to the Depository Participants/Company and any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the notice of the AGM and holding shares as on the cut-off-date i.e. **23rd September, 2025** may obtain the 'User ID' and "Password for e-voting" by sending a request at **evoting@nsdl.com** or **cs@modernwoollens.com**.

For any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the download section of **www.evoting.nsdl.com** or call on 022-48867000 or send a request at **evoting@nsdl.com**.

By Order of the Board
FOR **Modern Threads (India) Limited**
Sd/-
(Anil Kumar Jain)
Company Secretary & Compliance officer
M.No. F7842

Place : Bhilwara
Date : 06.09.2025

Bandhan